[2022] 16 एस. सी. आर 212

टी. टाकानो

वी.

भारत और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड।

(सिविल अपील सं। 487-488 2022 का)

फरवरी 18,2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

संजीव खन्ना, जे. जे.]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (SEBI)

-

एसएस। 11 (1) , 11 (4) , 11 बी, 11 बी (1), 11 बी (2), 11 सी और 15 एचए-एस. ई. बी. आई. (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम

2003 (पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम)-विनियमन। 3 (बी), 3 (सी), 3 (डी), 4 (1), 4 (2) (ई), 4 (2) (के), 5,6,9,10,11 और 12-विनियमन। 6 – जाँच रिपोर्ट का प्रकटीकरण-अपीलार्थी को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थान में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी-एस. ई. बी. आई. अधिनियम, एस. सी. आर. ए. और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपीलार्थी को जारी कारण दिखाएँ नोटिस विशेष रूप से जांच की रिपोर्ट पर भरोसा करता है और अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी द्वारा पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन करने का आह्वान करता है-अपीलार्थी ने कारण दिखाएँ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उसे एस. ई. बी. आई. द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट नहीं मिली है-प्रतिवादी-एस. ई. बी. आई. ने कहा कि जांच रिपोर्ट एक आंतरिक दस्तावेज है जिसे साझा नहीं किया जा सकता है-अपीलार्थी ने जांच की रिपोर्ट प्राप्त करने की मांग को दोहराया।

एस. ई. बी. आई. द्वारा संचालित-क्या इसके तहत एक जांच रिपोर्ट है

पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 9 का खुलासा उस व्यक्ति को किया जाना चाहिए जिसे कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है-आयोजितः बोर्ड को यू/रेग के तहत जांच रिपोर्ट के ऐसे हिस्सों को निर्धारित करना चाहिए। 9

जिसका उस व्यक्ति के खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई पर असर पड़ता है जिसे कारण बताने का नोटिस जारी किया गया है और उसी का खुलासा करता है-बोर्ड प्रतियां प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।

रिपोर्ट के ऐसे भाग जो कारण दिखाने के लिए नोटिस में अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों से संबंधित हैं-यह ऐसी जानकारी को संशोधित कर सकता है जो तीसरे पक्ष की गोपनीयता को बाधित करती है-यह जानकारी को संशोधित करने में निरंकुश विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है-संस्था/प्राधिकरण/एजेंसी रिपोर्ट के उन वर्गों के प्रकटीकरण को रोक सकती है जो तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी और रणनीतिक जानकारी से संबंधित हैं।

प्रतिभूति बाजार की स्थिर और व्यवस्थित कार्यप्रणाली-प्रत्यर्थी को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना चाहिए कि रिपोर्ट का खुलासा तीसरे पक्ष के अधिकारों और प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा-इसके बाद यह साबित करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर आ जाती है कि वह

कि उसके मामले का उचित बचाव करने के लिए जानकारी आवश्यक है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अपीलार्थी यह साबित करने में असमर्थ है कि

1.2 अपीलार्थी ने यह साबित करके अपने बोझ का पर्याप्त रूप से निर्वहन नहीं किया कि उपरोक्त जानकारी का खुलासा न करने से यह अपनी रक्षा करने की क्षमता को प्रभावित करता है। हालांकि, केवल इसलिए कि जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में तीसरे पक्ष की जानकारी या प्रतिभूति बाजार पर गोपनीय जानकारी शामिल है, प्रतिवादी को रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्सों के प्रकटीकरण को रोकने का अधिकार नहीं है। पहला प्रतिवादी केवल रिपोर्ट के उन खंडों के गैर-प्रकटीकरण का दावा कर सकता है जो तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी और रणनीतिक जानकारी से संबंधित हैं।

प्रतिभूति बाजार के कामकाज पर। [पैरा 48] [255-डी-ई]

1.3 बोर्ड को विनियमन 9 के तहत जांच रिपोर्ट के ऐसे हिस्सों का निर्धारण करना चाहिए जो उस व्यक्ति के खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई पर असर डालते हैं जिसे कारण बताने का नोटिस जारी किया गया है और उसी का खुलासा करना चाहिए। यह ऐसी जानकारी को संशोधित कर सकता है जो तीसरे पक्ष की गोपनीयता को प्रभावित करती है। यह संशोधन में निरंकुश विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है।

जानकारी दी। दूसरी ओर, रिपोर्ट के ऐसे भाग जो अपीलार्थी के लिए अपने मामले का बचाव करने के लिए आवश्यक हैं - उसके खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का खुलासा करने की आवश्यकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जांच प्राधिकरण कर्तव्यबद्ध है [2022] 16 एस. सी. आर.

रिपोर्ट के ऐसे हिस्सों को सद्भावना से नोटिस प्राप्तकर्ता को प्रकट करना। यदि जाँच प्राधिकारी अपने कर्तव्य को दरकिनार करने का प्रयास करता है

न्यूनतम जानकारी का खुलासा करना, अपीलार्थी के पूर्वाग्रह के लिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। एक उपयुक्त मामले में अदालत/अपीलीय मंच को जांच रिपोर्ट मांगने और यह निर्धारित करने का अधिकार होगा कि क्या खुलासा करने का कर्तव्य है या नहीं।

प्रभावी ढंग से अनुपालन किया गया है। [पैरा 49] [255-एफ-एच; 256-ए] 1.4 अपीलार्थी को कारण बताने के लिए जारी किया गया नोटिस एस. ई. बी. आई. अधिनियम, एस. सी. आर. ए. और पी. एफ. यू. टी. पी. के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए है।

नियम। कारण दर्शाओ नोटिस में विशेष रूप से उस बात का उल्लेख किया गया है जो जांच के दौरान सामने आई थी और इसमें पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के प्रावधानों को लागू किया गया है।

अपीलार्थी के खिलाफ आरोप। कारण बताएँ नोटिस के बाद से

विशेष रूप से जाँच की रिपोर्ट पर भरोसा किया है और अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी द्वारा पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के उल्लंघन का आह्वान किया है, विनियम 10 के अधिदेश का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, यह निर्देश देते हुए कि अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट का खुलासा किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि

यह अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट के बारी-बारी से निरीक्षण की मांग करने की अनुमति नहीं देगा जिसमें असंबंधित संस्थाओं और लेनदेन के संबंध में संवेदनशील जानकारी हो सकती है [पैरा 50] [256-बी, ई-एफ]

1.5 यह न्यायालय निष्कर्ष निकालता है किः (i) अपीलार्थी को शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित सामग्री के प्रकटीकरण का अधिकार है।

उसके खिलाफ। कार्यवाही के चरण के आधार पर नटवर सिंह में प्रासंगिक जानकारी के प्रकटीकरण के सामान्य नियम से विचलन किया गया था। यह उन सामग्रियों का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है जिन पर भरोसा किया गया है कि क्या यह जांच शुरू करने या न करने का निर्णय लेने के लिए कारण दिखाएँ नोटिस जारी करने के उद्देश्य से है। हालाँकि, सभी जानकारी जो है कार्यवाहियों के लिए प्रासंगिक निर्णय कार्यवाही में खुलासा किया जाना चाहिए; (ii) विनियमन 10 के तहत बोर्ड विनियमन 9 के तहत जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर विचार करता है, और यदि वह आरोपों से संतुष्ट है, तो वह विनियम 11 और 12 के तहत दंडात्मक उपाय जारी कर सकता है। इसलिए, जांच रिपोर्ट केवल आंतरिक नहीं है

दस्तावेज़। किसी भी स्थिति में, विनियमन 10 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि बोर्ड टी. टाकानो बनाम के संबंध में एक राय बनाता है।

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत और ए. एन. आर.

विनियम 9 के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद विनियमों का उल्लंघन; (iii) सामग्री का खुलासा। निर्णय में त्रुटि को कम करने, कार्यवाही की निष्पक्षता की रक्षा करने और कार्यवाही को बढ़ाने के तीन गुना उद्देश्य को पूरा करता है।

जांच निकायों और न्यायिक संस्थानों की पारदर्शिता; (iv) सामग्री के दमन के संस्थागत प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना परिणाम के विपरीत प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है। दिशा. करुणाकर में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि प्रासंगिक जानकारी का खुलासा न करने से सजा का आदेश केवल तभी अमान्य हो जाएगा जब पीड़ित व्यक्ति यह साबित करने में सक्षम हो कि खुलासा न करने के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, जो परिणाम और प्रक्रिया दोनों पर आधारित है।

प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली। प्रत्यर्थी को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना चाहिए कि रिपोर्ट तीसरे पक्ष के अधिकारों और प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगी। इसके बाद जिम्मेदारी बदल जाती है

अपीलार्थी को यह साबित करने के लिए कि जानकारी उचित रूप से अपने मामले का बचाव करने के लिए आवश्यक है; और (vi) जहां जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में तीसरे पक्ष या गोपनीय जानकारी शामिल है। प्रतिभूति बाजार पर जानकारी, प्रतिवादी उस कारण से रिपोर्ट के किसी भी हिस्से का खुलासा करने के खिलाफ विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। उत्तरदाता उन धाराओं के प्रकटीकरण को रोक सकते हैं

रिपोर्ट जो तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी और रणनीतिक जानकारी से संबंधित है जो स्थिर और व्यवस्थित पर असर डालती है

प्रतिभूति बाजार की कार्यप्रणाली। [पैरा 51] [256-जी-एच; 257-ए एच; 258-ए-बी]

1.7 बोर्ड की प्रतियां उपलब्ध कराना बोर्ड का कर्तव्य होगा।

रिपोर्ट के ऐसे भाग जो उन विशिष्ट आरोपों से संबंधित हैं जो कारण बताने के लिए नोटिस में अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए हैं। हालाँकि, यह अपीलार्थी को तीसरे पक्ष और असंबंधित के बारे में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है।

लेन-देन जो जाँच रिपोर्ट का हिस्सा हो सकते हैं। [पैरा 52] [258-बी-सी]

चंद्रमा तिवारी बनाम। भारत संघ (1988) 1 एससीआर 1102 [1988] एससीआर 1102; नटवर सिंह बनाम।

[2022

] 16 एस के निदेशक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रवर्तन (2010) 13 एससीसी 255: [2010] 13 एससीआर 99;

कृष्ण चंद्र टंडन बनाम। भारत संघ ए. आई. आर 1974

खुदीराम दास बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1975) 2 एससीसी 81 [1975] 2 एस. सी. आर. 832; भारत संघ और अन्य। वी.

मोहम्मद. रमजान खान (1991) 1 एससीसी 588 [1990] 3

पूरक। एस. सी. आर. 248; प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद

एस. सी. आर. 576; स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम। एस के शर्मा (1996) 3 एससीसी 364: [1996] 3 एस. सी. आर. 972; उत्तर प्रदेश राज्य

वी. रमेश चंद्र मंगलिक (2002) 3 एस. सी. सी. 443; कोठारी फिलामेंट्स वी। कॉम. सीमा शुल्क (2009) 2 एससीसी

192 : [2008] 17 एस. सी. आर. 647-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[1988] एससीआर 1102

पैरा

14

संदर्भित किया गया है

[1975] 2 एससीआर 832

उस पर भरोसा करें

पैरा

13

[1990] 3 पूरक। एससीआर 248

उस पर भरोसा करें

पैरा

35

[1993] 2 पूरक। एससीआर 576

उस पर भरोसा करें

पैरा

35

[1996] 3 एससीआर 972

उस पर भरोसा करें

पैरा

36

(2002) 3 एस. सी. सी. 443

उस पर भरोसा करें

पैरा

37

[2008] 17 एससीआर 647

उस पर भरोसा करें

पैरा

38

[2010] 13 एससीआर 99

संदर्भित किया गया है

पैरा

12

(1974) 4 एस. सी. सी. 374

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

488 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 29.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की रिट याचिका (एल) No.3298 में बॉम्बे में न्यायपालिका और 2020 की रिट पे (एल) संख्या 3298 में 2020 की समीक्षा याचिका (एल) No.4780 में दिनांकित <आईडी2।

असीम सूद, सुश्री श्रेया सूरी, सुश्री वैष्णवी राव, सुश्री.

मित्तल, रिथम बुआरिया, सेनू निजार, अरमान प्रताप सिंह, एकनाथ कुबेरिंदर बजाज, सुश्री औरिका भट्टाचार्य, समर्थ मोहंती, सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

टी. ताकानो बनाम। भारत और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड।

सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आशीष प्रसाद, महफूज अहसान नाज़की,

पृथ्वी ढिनोजा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

A. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

..... 3 *

..... 10 *

बी वकील की प्रस्तुतियाँ। ... . ग. विश्लेषण।

... . 16 *

सी. 1 पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों की नियामक रूपरेखा। 16 *

ग. 2 जांच सामग्री का खुलासा करने का कर्तव्य। 23 *

सी. 3. प्रकट करने के कर्तव्य के अपवाद

..... 43 *

D. निष्कर्ष।

... . 47 *

A. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कारणदर्शक नोटिस को चुनौती देने के लिए, जिसे पहले प्रतिवादी 1 द्वारा जारी किया गया था, जिसमें SEBI (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार का निषेध) के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। व्यवहार) विनियम 2003 2. डिवीजन बेंच के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली एक याचिका का निपटारा 22 अक्टूबर 2020 के एक आदेश द्वारा किया गया था। अपीलार्थी ने रिट याचिका में फैसले और समीक्षा में आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 9 के तहत एक जांच रिपोर्ट है।

जिस व्यक्ति को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है, उसे इसका खुलासा किया जाना चाहिए।

2. अपीलार्थी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी 'रिकोह इंडिया लिमिटेड' में प्रबंध निदेशक 3 और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत था।

31 मार्च 2015 तक वित्तीय वर्षों 2012-13,2013-14 और 2014-15 के लिए। *
Ed.Note: मूल निर्णय 1 "सेबी" या "बोर्ड" के अनुसार पृष्ठांकन

2 " पी. एफ. यू. टी. पी. नियम "

4 " सीईओ "

कंपनी "[2022] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2016 में, बी. एस. आर. एंड कंपनी को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षकों ने वित्तीय व्यवस्था की सच्चाई के बारे में संदेह व्यक्त किया 30 जून, 2015 और 30 सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाहियों के लिए कंपनी के विवरण। कंपनी की लेखा परीक्षा समिति ने एक फोरेंसिक कार्य करने के लिए प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया

पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के प्रावधान। पीडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट कंपनी द्वारा 29 नवंबर 2016 को पहले प्रतिवादी को भेज दी गई थी। 3. प्रथम उत्तरदाता ने जाँच शुरू की। जाँच के दौरान मनोज कुमार (तत्कालीन प्रबंध निदेशक और प्रबंध निदेशक) को समन जारी किया गया था।

2015-16 के वित्तीय वर्ष के लिए CEO), अरविंद सिंघल (तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी) और अनिल सैनी (तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रमुख) संचालन अधिकारी)। कंपनी ने 8 जून 2016 को अपने पत्र में प्रस्तुत किया

उसने कहा कि उसे मनोज कुमार, अरविंद सिंघल और अनिल सैनी पर वित्तीय मामलों को गलत तरीके से पेश करने में शामिल होने का संदेह था। प्रथम प्रतिवादी ने अपने एकतरफा अंतरिम आदेश-सह-कारण दर्शाओ नोटिस में प्रथम दृष्टया दो अन्य लोगों को पाया, जिनमें अपीलार्थी भी शामिल था, जो अपील को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार थे।

वित्तीय स्थिति का गलत विवरण। अपीलार्थी की भूमिका के संबंध में, यह नोट किया गया थाः

" पिछले वर्षों से रिकोह के संगठन संरचना की जांच करने पर, यह ध्यान दिया जाता है कि टी. टाकानो 31 मार्च, 2015 तक कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। यह भी ध्यान दिया जाता है कि जनादेश के लिए

पीडब्ल्यूसी जांच 30 सितंबर, 2015 को समाप्त अर्ध-वर्ष तक सीमित थी और उन सभी वर्षों तक विस्तारित नहीं की गई थी जब गलत कथन हुए थे। यदि मनोज कुमार, जो वित्त वर्ष 2015-16 में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, को धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, तो यह तर्कसंगत है कि टी. टाकानो पिछले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिनके कार्यकाल के दौरान धोखाधड़ी हुई थी) थे।

वास्तव में शुरू किया गया) गलत बयानों के लिए भी जिम्मेदार था। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अवधि को सीमित करके पीडब्ल्यूसी, कंपनी का इरादा पीडब्ल्यूसी को पिछले वर्षों के लेन-देन की जांच करने से रोकना था और इस तरह पहले के लेन-देन पर रोक लगाना था।

एम. डी. और सी. ई. ओ., टी. ताकानो "।

6 " पीडब्ल्यूसी "टी. ताकानो बनाम। भारत और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

4. जाँच के आधार पर, यह नोट किया गया कि वित्तीय

गलत कथन 2012-13 से शुरू हुए और कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ, तीसरे पक्ष को हस्तांतरण, राइट-ऑफ और बिना इन्वेंट्री के 'फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशंस लिमिटेड' को की गई बिक्री के कारण नुकसान उठाना पड़ा। यह भी उल्लेख किया गया कि गलत विवरणों के कारण कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ गई थी। इसलिए, यह देखा गया कि अपीलार्थी ने पांच अन्य लोगों के साथ प्रथम दृष्टया पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 3 (बी), 3 (सी), 3 (डी), 4 (1), 4 (2) (ई), 4 (2) (के) और 4 (2) (आर) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 19928 की धारा 12 ए (ए), 12 (ए) (बी) और 12 ए (सी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिए, पहला प्रतिवादी जारी किया गया

एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1), 11 (4) और 11 बी और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 11 के तहत निम्नलिखित निर्देशः

अपीलार्थी और अन्य पाँच प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति

((i)

प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने से प्रतिबंधित किया गया था या

प्रतिभूति बाजार में खरीद, बिक्री या अन्यथा लेनदेन;

((ख)

एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा फर्म को संचालन के लिए नियुक्त किया गया था

लेखा पुस्तकों का विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट वित्तीय वर्ष 2012-13 से कंपनी;

(iii)

स्वतंत्र लेखापरीक्षा फर्म को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था

तीन महीने के भीतर पहले उत्तरदाता को रिपोर्ट करें

नियुक्ति की तारीख; और

(iv) धारा 11,11 (4) के तहत दिए गए निर्देशों के लिए कारण बताएँ नोटिस।

और एस. ई. बी. आई. अधिनियम के 11 (बी), के लिए निर्देशों सहित

प्रतिभूतियों तक पहुँचने से उसे रोकना/प्रतिबंधित करना

प्रतिभूतियों का विपणन और खरीद, बिक्री या अन्यथा लेनदेन किसी भी तरह से।

5. उनके 6 जून 2018 और 28 जून 2018 के पत्रों द्वारा, और

11 जून, 2018 को व्यक्तिगत सुनवाई में अपीलार्थी ने कहा किः

((i)

उन्हें कथित लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और/या

लेखा पुस्तकों में गलत कथन;

((ख)

अंतरिम आदेश-सह-प्रदर्शन में उनका नाम शामिल करना

कारण सूचना अटकलबाजी थी, इस आधार पर कि

वित्तीय वर्ष 2015-16 के एम. डी. और सी. ई. ओ. हैं

प्रथम दृष्टया जिम्मेदार ठहराया गया, अपीलार्थी जो था

7 " एफ डी एस एल "

पिछले वर्ष के दौरान एम. डी. और सी. ई. ओ. भी आयोजित किए जाने चाहिए।

जिम्मेदार; और
वित्तीय दल पूरी तरह से तैयारी के लिए जिम्मेदार था।

(111)

वित्तीय विवरण। इन बयानों की तब कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच की गई थी। बाद में तैयार किया गया संस्करण वित्तीय व्यवस्था का अंतिम संस्करण था।

बयान। इसलिए, उन्हें जटिलताओं का कोई ज्ञान नहीं था

वित्तीय विवरण।

6. 16 अगस्त 2018 9 के एक आदेश द्वारा, पहला प्रत्यर्थी

इस तरह की जांच लंबित रहने तक कथित धोखाधड़ी के नोटिस अभी तक सामने नहीं आए हैं। प्रथम प्रतिवादी द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय 30 सितंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था। एस. ई. बी. आई. ने 20 फरवरी 2019 को पिपारा एंड कंपनी एल. एल. पी. को कंपनी के लेखा पुस्तकों का फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया। फोरेंसिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 25 अक्टूबर 2019 को प्रस्तुत की गई थी।

7. अपीलार्थी ने पुष्टिकरण आदेश को चुनौती दी

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण 1 ओ, मुंबई। अपीलों की अनुमति दी गई और अपीलार्थी के खिलाफ आदेश को 29 जनवरी 2020 को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि -

(i) पुष्टि आदेश के बारे में संदेह पर आधारित है

अपीलार्थी की भूमिका;

((ii) अपीलार्थी की प्रस्तुतियों पर विचार नहीं किया गया था।

उचित रूप से;

((iii) चूंकि कंपनी परिसमापन में है, इसलिए अपीलार्थी परिसमापन में नहीं है।

निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति; और

टी. ताकानो बनाम। भारत और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((iv) अपीलार्थी को प्रतिभूति बाजार में लेनदेन करने से नहीं रोका जा सकता है जब अपीलार्थी को अप्रत्यक्ष रूप से देय माना जाता है।

वह एम. डी./सी. ई. ओ. के पद पर रहे।

हालाँकि, न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि यदि अपीलार्थी के खिलाफ सबूत हैं तो पहला प्रतिवादी एक नया कारणदर्शक नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र है। फोरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से या पहले प्रतिवादी की जांच के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

8. 19 को अपीलार्थी को एक नया कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था।

मार्च 2020 धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4 ए), 11 बी (1) के प्रावधानों के तहत और एस. ई. बी. आई. अधिनियम के 11 बी. (2) और 15 एच. ए. और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 की धारा 23 एच. के साथ पठित धारा 12 ए. (2) प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा की गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और जांच पर आधारित है। अपीलार्थी के संबंध में, यह आरोप लगाया गया था किः

" ... श्री टी. टाकानो, जिनके कार्यकाल के दौरान एफ. डी. एस. एल. के प्रबंध निदेशक और सी. ई. ओ. के रूप में उनके पद के आधार पर एफ. डी. एस. एल. के साथ व्यावसायिक लेनदेन शुरू हुए। वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान रिकोह सक्रिय रूप से शामिल था

धोखाधड़ी की और जानबूझकर जनादेश को सीमित कर दिया था पीडब्ल्यूसी को छह महीने के लिए दिया गया ताकि वह अपनी भूमिका को छिपाने में सफल हो सके।

असत्य वित्तीय विवरण प्रकाशित करने की धोखाधड़ी का आयोग रीकोह के बारे में जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को गुमराह किया गया

स्क्रिप में व्यापार के लिए प्रलोभन। नोटिस सं. के उक्त कार्य। 2 एस. ई. बी. आई. (पी. एफ. यू. टी. पी.) विनियम, 2003 के विनियम 3 (बी), (सी), (डी), 4 (1) और 4 (2) (ई), (एफ), (के) और (आर) और पूर्ववर्ती सूचीकरण के खंड 49 (वी) को 41 (आई. एल.) (ए) के साथ पढ़ने का उल्लंघन करने का आरोप है।

समझौता "।

9. अपीलार्थी दावा करता है कि उसे कारण दर्शाएँ नोटिस प्राप्त हुआ

4 अगस्त 2020 को ईमेल करें। अपीलार्थी ने कारण बताए जाने का जवाब दिया

6 अगस्त 2020 को नोटिस में कहा गया था कि हालांकि उन्हें पिपारा एंड कंपनी एलएलपी द्वारा प्रस्तुत फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट मिली थी, लेकिन उन्हें एस. ई. बी. आई. द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट नहीं मिली थी। अपीलार्थी ने निम्नलिखित अभिलेखों का निरीक्षण करने का अवसर माँगाः

" [.....] जिसमें सभी सामग्री शामिल हैं लेकिन उन तक सीमित नहीं हैं जिन पर निर्भरता है

पिपारा एंड कंपनी एलएलपी को तैयार करने के उद्देश्य से रखा गया था फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, सभी सामग्री जिन पर निर्भरता रखी गई है

कारण दिखाएँ नोटिस जारी करते समय, और किस पर निर्भरता है

एससीआरए "[2022] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कारण दर्शाओ नोटिस ("सामग्री") पर कोई भी निर्णय लेते समय रखने का इरादा। ”

10. 13 अगस्त 2020 के अपने संचार द्वारा, पहले प्रतिवादी ने कहा कि जांच रिपोर्ट एक 'आंतरिक दस्तावेज' है जो ऐसा नहीं कर सकता है।

साझा करें। अपीलार्थी को अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए 9 अगस्त 2020 तक का समय दिया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी ने फोरेंसिक रिपोर्ट में अनुलग्नकों की सॉफ्ट प्रतियां संलग्न कीं और अपीलार्थी से जवाब प्रस्तुत करने का आह्वान किया। अपीलार्थी ने जाँच रिपोर्ट का निरीक्षण करने की माँग को दोहराया। 4 सितंबर 2020 को एक ईमेल द्वारा, अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए एस. ई. बी. आई. की जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया गया था और इसलिए, प्रदान नहीं किया जाएगा।

11. अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 19 मार्च 2020 को जारी किए गए कारण बताएँ नोटिस को चुनौती दी गई थी। वैकल्पिक रूप से, कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए सभी दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग की गई थी। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का खुलासा न करने के कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए भरोसा करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

नियम केवल आंतरिक उद्देश्यों के लिए हैं। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि कारणदर्शक नोटिस जारी करते समय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, उच्च न्यायालय ने नटवर सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। प्रवर्तन निदेशक 1 2 2. संक्षेप में, उच्च न्यायालय ने माना है कि रिपोर्ट कारण दर्शाओ नोटिस का आधार नहीं है और इसलिए इसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। पुनर्विचार याचिका को चुनौती उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को खारिज कर दिया गया।

B. वकील की प्रस्तुतियाँ

13. श्री असीम सूद, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील

निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

(i) विनियम 10 की दो समकालिक आवश्यकताएँ हैं-(i) जांच रिपोर्ट पर विचार और इस तरह के विचार पर संतुष्टि कि पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन हुआ है; और (ii) सुनवाई। जाँच रिपोर्ट का उद्देश्य यह निर्णय लेना है कि क्या

नियमों का उल्लंघन। कोई मध्यवर्ती नहीं है

12 (2010) 13 एस. सी. सी. 255 नं.

ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

रिपोर्ट पर विचार और दायित्व के निर्णय के बीच का चरण। दोनों चरण समकालिक हैं, जिससे जांच रिपोर्ट प्राथमिक सामग्री बन जाती है जिस पर

न्यायनिर्णायक पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के तहत निर्भर करता है;

उच्च न्यायालय ने यह ठहराते हुए गलती की कि जांच रिपोर्ट एक प्रारंभिक रिपोर्ट है और इसका उपयोग "आंतरिक" के लिए किया जाना है। प्रशासनिक अनुशासन "। जाँच रिपोर्ट एक प्रारंभिक दस्तावेज नहीं है और एक गहन और विस्तृत जाँच के अंत में संकलित की जाती है। विनियम 9 के प्रावधान में एक "अंतरिम रिपोर्ट" का प्रावधान है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जांच रिपोर्ट प्रारंभिक दस्तावेज नहीं है।

जाँच रिपोर्ट एक दस्तावेज नहीं है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए।

आंतरिक विचार-विमर्श, जो एक ऐसा चरण है जिसे विनियमन 5 में पार किया गया है। जाँच रिपोर्ट का उपयोग विनियमन 10 के संदर्भ में दायित्व के निर्णय के लिए किया जाना है।

उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए गलती की कि जांच रिपोर्ट का उपयोग अपीलार्थी के खिलाफ नहीं किया गया था और यह तैयार नहीं होती है

कारण दर्शाओ नोटिस का आधार। 19 मार्च 2020 के कारण बताएँ नोटिस में पहले प्रतिवादी द्वारा की गई जांच के कई संदर्भ हैं। ये आरोप पहले के शो में सूचीबद्ध आरोपों से अलग हैं।

कारण सूचना, जिसे अपीलार्थी को जारी किया गया था और 29 जनवरी 2020 को एस. ए. टी. द्वारा 2018 की अपील संख्या 427 में खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, खुलासा करने का कर्तव्य इस बात पर निर्भर नहीं है कि क्या प्रतिवादी किसी दस्तावेज़ पर निर्भर करता है; बल्कि कर्तव्य का आह्वान तब किया जाता है जब किसी दस्तावेज़ के लिए किया गया अनुरोध नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा बचाव के लिए उचित और प्रासंगिक पाया जाता है;

विनियम 10 में आदेश दिया गया है कि पूरी जांच रिपोर्ट का खुलासा नोटिस पाने वाले को किया जाए। यह जनादेश केवल कुछ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवादों के अधीन हो सकता है। इस तरह के अपवादों को एस. ई. बी. आई. द्वारा अत्यधिक सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए और

उन कारणों के लिए जो लिखित रूप में दर्ज किए गए हैं; नटवर सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय इसका समर्थन करता है।

यह सिद्धांत कि अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में सामग्री पर भरोसा किया जाता है, उस व्यक्ति को प्रकट किया जाना चाहिए जिसके [2022] 16 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

प्रतिकूल लेने के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है

कार्रवाई;

खुदीराम दास बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब कोई क़ानून कुछ सामग्री पर निर्भरता निर्धारित करता है, तो ऐसी सामग्री का खुलासा विरोधी पक्ष को किया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही सहित कई संदर्भों में इस सिद्धांत का पालन किया गया है और

विशेष न्यायालय अधिनियम 1979;

रिपोर्ट के कुछ भाग नोटिस प्राप्तकर्ता के लिए प्रासंगिक हैं; प्रत्यर्थी को जांच रिपोर्ट के चुनिंदा हिस्सों का खुलासा करने की अनुमति देने से जोखिम होता है -

पहला प्रतिवादी विनियमन 10 के अधिदेश को कम करते हुए प्रतिकूल कार्यवाही में कम से कम संभव जानकारी का खुलासा करने का प्रयास करेगा। पूरी जाँच तक पहुँच के बिना

रिपोर्ट करें, नोटिस प्राप्तकर्ता प्रभावी रूप से असमर्थ होगा

प्रथम प्रत्यर्थी के निर्णय को चुनौती देना। इसके परिणामस्वरूप एक अपारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा जहां एस. ए. टी. या उच्च न्यायालय सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और इस बात का एकतरफा निर्धारण करेंगे कि क्या संशोधन किए गए हैं।

प्रथम प्रतिवादी द्वारा किए गए कार्य न्यायोचित हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं;

विनियम 9 जाँच के संबंध में एक गुणात्मक आवश्यकता लागू करता है। यदि जाँच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाता है, तो जाँचकर्ता को उस गुणात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। इसलिए, यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं होगा कि क्या जांच रिपोर्ट थी ठीक से संकलित किया गया और क्या जांच की गई थी

एक नियमित तरीके से आयोजित, के अनुसार

एक उचित जाँच में क्या शामिल है, इसके मानक; जांच रिपोर्ट का संशोधन वैध कारणों से एक अपवाद के रूप में किया जा सकता है। मनमानी को कम करने के लिए,

सी 81 एनओ वी। ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

जे.]

संशोधनों को लिखित कारणों से समर्थित किया जाना चाहिए

माप की आवश्यकता को दर्शाता है। कारण बताए जाने चाहिए।

विशिष्टता की एक निश्चित डिग्री है;

कानून के लिए जाना जाता है और इसमें व्यावसायिक रहस्य शामिल हैं, व्यक्तिगत डेटा और तीसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी; और

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में भी कानून अपनाए जाते हैं।

डिफ़ॉल्ट स्थिति कि नोटिस प्राप्तकर्ता के पास व्यावसायिक रहस्यों और व्यक्तिगत डेटा से संबंधित कुछ अपवादों के अधीन फ़ाइल तक पहुंच होगी।

उत्तरदाताओं की ओर से, श्री सी. यू. सिंह, विद्वान वरिष्ठ

निम्नलिखित प्रस्तुतियाँः

अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि जाँच

केवल पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के तहत आयोजित किया गया है और जांच रिपोर्ट का खुलासा करने में विफलता

प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। एस. ई. बी. आई. अधिनियम और एस. सी. आर. ए. के उल्लंघन के लिए भी

पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम और सूचीकरण के प्रावधान समझौता। एस. ई. बी. आई. अधिनियम और एस. सी. आर. ए. व्यापक हैं।

पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों से अधिक। इसके अलावा, विनियमन

11 पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि

उप-धारा (1), (2), (2 ए) और (3) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्रवाई या निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 और 11 बी;

एस. ई. बी. आई. धारा 11 सी के तहत जांच करता है

एस. ई. बी. आई. अधिनियम, जहां, इस दौरान प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शो कॉज में जांच, आरोप लगाए जाते हैं

नोटिस करें। कारण दर्शाओ नोटिस के साथ सभी

जांचकर्ता द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है सूचना देने वाले को दी जाती है। वर्तमान में, सभी मामले

पिपारा एंड कंपनी की रिपोर्ट सहित जिसने गठन किया कारण दर्शाओ नोटिस का आधार। अपीलार्थी का अधिकार नहीं है

किसी भी अन्य दस्तावेज़ के लिए;

अर्ध-न्यायिक कार्यवाही जो एस. ई. बी. आई. द्वारा शुरू की जाती है।

उन आरोपों के आधार पर आगे बढ़ें जिनका उल्लेख किया गया है [2022] 16 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

कारण दर्शाओ नोटिस और उन दस्तावेजों में जो हैं

इसे संलग्न करें। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय के लिए किसी अन्य सामग्री, दस्तावेज या जांच पर विचार नहीं किया जाता है।

जवाब दाखिल करने के अवसर के बाद ही आदेश पारित किए जाते हैं।

दिया जाता है और इसका पालन करने के लिए एक व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान की जाती है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत;

पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 9 के लिए आवश्यक है

जाँच पूरा होने के बाद जाँच प्राधिकरण नियुक्ति प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हालांकि, इस प्रावधान के तहत नोटिस प्राप्तकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट केवल एक अंतर की प्रकृति में है

जाँच करने वाले अधिकारियों के बीच विभागीय संचार

मामला और प्राधिकरण जो यह तय करता है कि क्या कोई प्रवर्तन है

किसी भी प्राथमिक आधार पर किसी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जानी है।

प्रत्यक्ष आधार। यह सबूत का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक है

दस्तावेजों की पराकाष्ठा जो जांच प्राधिकरण जाँच के दौरान निर्भर करता है या सामने आता है;

इस न्यायालय ने इसी तरह के कई मामलों में कहा है कि आंतरिक जाँच रिपोर्ट साझा करने की आवश्यकता नहीं है। (कृष्ण

चंद्र टंडन बनाम। भारत संघ 14 1 4 और चंद्रमा

तिवारी वी. भारत संघ 1 5);

एस. ई. बी. आई. द्वारा की गई जाँच अत्यधिक संवेदनशील है। बाजार की अस्थिर प्रकृति को देखते हुए। इस तरह का खुलासा

जानकारी बाजार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, जाँच रिपोर्टमे व्यक्तिगत जानकारी सेहो रहैत छैक।

अन्य हितधारकों से। इनमें तीसरे पक्ष के वाणिज्यिक और व्यावसायिक हितों से संबंधित जानकारी भी शामिल है। नोटिस प्राप्तकर्ता के साथ ऐसी जानकारी साझा करने से चिंता बढ़ेगी। तृतीय पक्षों की गोपनीयता के संबंध में और उनकी गोपनीयता को भी प्रभावित करता है।

बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति; धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (डी), (ई) और (एच)

(i) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित ऐसी जानकारी, जिसका प्रकटीकरण किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुँचाना; (ii)

सी. आर. 1102 ताकानो बनाम। सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

डी. आई. ए और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध जानकारी "; और (iii)

" प्रक्रिया में बाधा डालने वाली जानकारी जाँच "; और

(viii) अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग अपनी प्रभावशीलता को अधिकतम करने और इसमें शामिल लोगों की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए गोपनीय आधार पर अपनी जांच करता है। यूके वित्तीय आचरण प्राधिकरण भी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करता है, भले ही इसके तहत अनुरोध किया गया हो।

सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया है कि

गोपनीयता प्रतिबंध सूचना के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है और यदि गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक किया जाना है, तो स्रोत जानकारी देने के लिए कम इच्छुक होंगे। ई. यू. संसद के निर्देश 2004/39 का अनुच्छेद 54 प्रतिभूति बाजार के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और आदेश देता है कि ऐसी प्रकृति की जानकारी साझा नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार, एस. ई. बी. आई. ने जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया है।

स्थापित वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप।

ग. विश्लेषण सी. 1 पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों की नियामक रूपरेखा

15. पीएफयूटीपी विनियमों को एस. ई. बी. आई. द्वारा अधिसूचित किया गया है।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार। विनियमन निम्नलिखित शब्दों में 'धोखाधड़ी' अभिव्यक्ति को परिभाषित करता हैः

“ 2 (ग) "धोखाधड़ी" में कोई भी कार्य, अभिव्यक्ति, चूक या छिपाना शामिल है, चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी मिलीभगत से या उसके द्वारा छलपूर्ण तरीके से किया गया हो या नहीं।

किसी अन्य व्यक्ति या उसके अभिकर्ता को प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिभूतियों में सौदा करते समय अभिकर्ता, चाहे कोई गलत लाभ हो या किसी नुकसान से बचना हो, और इसमें यह भी शामिल होगा

(1) सत्य को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करना या भौतिक तथ्य को छिपाना ताकि कोई अन्य व्यक्ति उसे नुकसान पहुँचा सके। (2) एक तथ्य के बारे में एक सुझाव जो उस व्यक्ति द्वारा सच नहीं है जो इसे सच नहीं मानता है;

(3) तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना।

(4) इसे पूरा करने के इरादे के बिना किया गया एक वादा; [2022] 16 एस. सी. आर.

(5) लापरवाही और लापरवाही से किया गया प्रतिनिधित्व चाहे वह सच हो या गलत; (6) ऐसा कोई कार्य या चूक जैसा कि कोई अन्य कानून विशेष रूप से घोषित करता है

धोखाधड़ी करने के लिए, (7) एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को सूचित करने से वंचित करने वाला भ्रामक व्यवहार

सहमति या पूर्ण भागीदारी,

(9) प्रतिभूतियों के जारीकर्ता का गलत सूचना देने का कार्य जो प्रतिभूति के बाजार मूल्य को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को प्रभावी रूप से गुमराह किया जाता है, भले ही वे स्वयं विवरण या बाजार मूल्य के अलावा इससे प्राप्त किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करते थे। और "धोखाधड़ी" को तदनुसार समझा जाएगा; इसमें कुछ भी शामिल नहीं है।

इस खंड में की गई किसी भी सामान्य टिप्पणी पर लागू होगा

विश्वास के बारे में

((a) सरकार की आर्थिक नीति

((b) देश की आर्थिक स्थिति

(ग) प्रतिभूति बाजार में रुझान;

((घ) समान प्रकृति का कोई अन्य पदार्थ।

चाहे ऐसी टिप्पणियां सार्वजनिक रूप से की गई हों या निजी रूप से; "

16. विनियमों का दूसरा अध्याय प्रतिभूति बाजार से संबंधित खराब और अनुचित व्यापार प्रथाओं के निषेध से संबंधित है। इसमें विनियमन 3 शामिल है जो "कुछ लेन-देन संबंधी जिज्ञासाओं के निषेध" से संबंधित है और विनियमन 4 जो "लेनदेन के निषेध" से संबंधित है।

लुभावनी, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाएं "। अध्याय दो संबंधित है

बोर्ड की जांच का आदेश देने की शक्ति। नियम 5 है -

नीचे लिखा है:

" 5. जहां बोर्ड, अध्यक्ष, सदस्य या कार्यकारी निदेशक (जिसे इसके बाद "नियुक्ति प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)

(क) प्रतिभूतियों में लेन-देन से निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के लिए हानिकारक तरीके से निपटा जा रहा है। ये विनियम; टी. ताकानो बनाम।

(ख) कोई मध्यस्थ या प्रतिभूतियों से जुड़ा कोई व्यक्ति। बाजार ने अधिनियम या नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, यह किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा किसी भी अधिकारी को निर्देश दे सकता है जो प्रभाग प्रमुख (इसके बाद) के पद से कम न हो।

ऐसे मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति के मामलों की जांच करने और अधिनियम की धारा 11 सी में दिए गए तरीके से बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए आदेश में निर्दिष्ट "जांच प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित।

विनियम 6 जाँच प्राधिकारी की शक्तियों का उल्लेख करता है। 17 जाँच प्राधिकरण की शक्तियों में शामिल हैं:

17 6. अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जांच प्राधिकरण के पास जांच करने के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:

(1) अधिनियम की धारा 11 (2) (i) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से जानकारी या रिकॉर्ड के लिए कॉल करना;

(2) किसी भी पुस्तक, या रजिस्टर, या किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या किसी सार्वजनिक कंपनी के अन्य दस्तावेज या रिकॉर्ड का निरीक्षण करना (जो इसमें संदर्भित मध्यस्थ नहीं हैं)। अधिनियम की धारा 12) जो अपनी प्रतिभूतियों को किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती है, जहां जांच प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसी कंपनी इन नियमों का उल्लंघन कर रही है;

(3) किसी मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी व्यक्ति से किसी भी तरह से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने, या ऐसी पुस्तकों, या रजिस्टरों, या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, या उसके सामने या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को रिकॉर्ड करने की अपेक्षा करना, जो वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना या ऐसी पुस्तकों, या रजिस्टरों, या अन्य दस्तावेजों, या रिकॉर्ड का उत्पादन जांच के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक या आवश्यक है;

(5) मौखिक रूप से जाँच करना और संबंधित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के किसी निदेशक, भागीदार, सदस्य या कर्मचारी का बयान दर्ज करना और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाने वाली ऐसी मौखिक जाँच की टिप्पणियाँ लेना: बशर्ते कि उक्त टिप्पणियों को इस प्रकार जांच किए गए व्यक्ति को पढ़ा जाएगा, या उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा;

(6) किसी भी प्रबंधक, प्रबंध निदेशक, अधिकारी या किसी मध्यस्थ के अन्य कर्मचारी या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति से उसके व्यवसाय के मामलों के संबंध में किसी भी तरह से शपथ पर जाँच करना और तदनुसार शपथ ले सकता है और उस उद्देश्य के लिए उन व्यक्तियों में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से उसके सामने उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है।

2] 16 एस सी आर।

(i) जानकारी या रिकॉर्ड के लिए कॉल करना; ((ii) पुस्तकों, रजिस्टरों और दस्तावेजों का निरीक्षण करना या

किसी भी सार्वजनिक कंपनी के अभिलेख;

(iii) प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा सूचना, दस्तावेज या रिकॉर्ड के प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

मध्यस्थ,

((iv) एक निर्धारित अवधि के लिए पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों और अभिलेखों का आरक्षण और अभिरक्षा; (v) निदेशकों की जांच और बयान दर्ज करना,

भागीदार, सदस्य या कर्मचारी; और (vi) शपथ पर परीक्षा।

17. विनियमन 718 के तहत जांच प्राधिकरण प्रयोग कर सकता है।

बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कुछ निर्दिष्ट शक्तियाँ। विनियमन 8 1 9 एक कर्तव्य लागू करता है

18 7. जाँच प्राधिकरण, अध्यक्ष या सदस्य से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, अर्थात्:

(क) जाँच के अधीन प्रतिभूतियों में किसी भी लेन-देन के संबंध में किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किसी बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम से जानकारी और रिकॉर्ड के लिए कॉल करना; (ख) किसी भी पुस्तक, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और रिकॉर्ड को जब्त करने के आदेश के लिए अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन करना, यदि जांच के दौरान, जांच प्राधिकरण के पास विश्वास करने के लिए उचित आधार है।

कि ऐसी पुस्तकें, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और किसी भी मध्यस्थ या किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी व्यक्ति के या उससे संबंधित रिकॉर्ड को नष्ट किया जा सकता है।

(ग) इन विनियमों के तहत जब्त की गई पुस्तकों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को जांच के समापन के बाद ऐसी अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में रखना जो वह आवश्यक समझता है और उसके बाद उसे उस व्यक्ति, कंपनी या अन्य निगमित निकाय, या, जैसा भी मामला हो, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति को वापस करना, जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से उन्हें जब्त किया गया था:

बशर्ते कि जांच प्राधिकरण, ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को वापस करने से पहले, उन पर या उनके किसी भी हिस्से पर पहचान के निशान लगा सकता है;

1 9 8. (1) यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा जिसके संबंध में विनियमन 7 के तहत जांच का आदेश दिया गया है। (क) अन्वेषक प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी पुस्तकें, खाते और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना और अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रिकॉर्ड करना और टी. टाकानो v.

भारत और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

प्रत्येक व्यक्ति पर सहयोग करें जिसके संबंध में विनियमन 7 के तहत जांच का आदेश दिया गया है। 18. विनियम 9, जिस पर वर्तमान मामले में विवाद बदल जाता है, नीचे निकाला गया हैः

" 9. जांच प्राधिकरण, जांच पूरी होने पर, सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगाः

बशर्ते कि जांच प्राधिकरण जांच पूरी होने तक एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है यदि वह विचार करता है निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित में या नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्देशित के रूप में आवश्यक।

विनियम 9 में परिकल्पना की गई है कि जांच प्राधिकरण को अपनी जांच पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसके दौरान सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जाँच अधिकारी एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, यदि

आवश्यक, निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित में या, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाता है।

जांच प्राधिकरण या उसके द्वारा इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति को जांच के उद्देश्यों के लिए यथोचित रूप से ऐसे बयान और जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है; (बी) जांच प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जब उसके द्वारा विनियमन 6 या विनियमन 7 के तहत ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो जांच प्राधिकरण द्वारा उक्त विनियमों के तहत शक्तियों के अनुसरण में उसे दिया जाता है। (2) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 235 से 241 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी के प्रत्येक प्रबंधक, प्रबंध निदेशक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी और अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट प्रत्येक मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वे सभी प्रावधानों को संरक्षित करें और जांच प्राधिकरण या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष पेश करें। कंपनी या, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थ या ऐसे व्यक्ति, जो उनकी अभिरक्षा या शक्ति में हैं, से संबंधित या उससे संबंधित पुस्तकें, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और रिकॉर्ड।

(3) उप-विनियम (1) और (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा व्यक्ति

(क) जाँच प्राधिकरण को जाँच के उद्देश्य से किसी भी उचित समय पर ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जा किए गए परिसर तक पहुँच की अनुमति दें; (ख) जाँच प्राधिकरण को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में (चाहे वह हाथ से हो या कंप्यूटर में या किसी अन्य रूप में रखा गया हो) जांच के उद्देश्यों के लिए यथोचित रूप से आवश्यक किसी भी पुस्तक, खाते और अन्य दस्तावेजों की जाँच करने के लिए उचित सुविधाओं का विस्तार करना; (ग) ऐसे जाँच प्राधिकरण को ऐसी कोई भी पुस्तक, खाते और रिकॉर्ड प्रदान करें जो, जाँच प्राधिकरण की राय में, जाँच के लिए प्रासंगिक हों या, जैसा भी मामला हो, उसे कंप्यूटर के प्रिंट निकालने की अनुमति दें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. विनियम 10 बोर्ड की प्रवर्तन की शक्ति से संबंधित है।

विनियम 10 के बारे में:

" 10. बोर्ड, निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के बाद विनियम 9 में, यदि संतुष्ट किया जाता है कि इन विनियमों का उल्लंघन हुआ है और संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, ऐसे निर्देश जारी करें या ऐसी कार्रवाई करें जैसा कि विनियम 11 और विनियम 12 में उल्लिखित है:

बशर्ते कि बोर्ड निवेशकों के हित में और

प्रतिभूति बाजार, रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए लंबित

विनियम 11 के तहत: बशर्ते कि बोर्ड निवेशकों के हित में

और प्रतिभूति बाजार, पूर्व के अवसर के साथ वितरण

कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके निर्णयात्मक सुनवाई और

संबंधित व्यक्तियों को निर्णय के बाद सुनवाई का अवसर

जितनी जल्दी हो सके "।

20. बोर्ड द्वारा विनियमन 11 और 12 में निर्दिष्ट किए गए निर्देश या उपाय जो निम्नानुसार हैं: -

" 11. (1) बोर्ड, प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

अधिनियम की धारा 11 और धारा 11 बी की उप-धारा (1), (2), (2 ए) और (3) में निहित, एक आदेश द्वारा, निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, या तो जांच या जांच लंबित रहने या ऐसी जांच पूरी होने पर या निम्नलिखित में से कोई भी कार्रवाई या निर्देश जारी करें या लें।

जाँच, अर्थात्:

(क) किसी राज्य में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल या प्रथम दृष्टया पाई जाने वाली प्रतिभूति के व्यापार को निलंबित करना।

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज;

(ख) व्यक्तियों को प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने से रोकें और प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को खरीदने, बेचने से रोकें।

या प्रतिभूतियों में सौदा;

(ग) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या स्वयं के किसी भी पदाधिकारी को निलंबित कर दें। इस तरह के पद धारण करने से नियामक संगठन;

(घ) किसी भी लेन-देन के संबंध में आय या प्रतिभूतियों को जब्त और बनाए रखना जो उल्लंघन में है या प्रथम दृष्टया उल्लंघन में है

ये नियम; ताकानो बनाम।

डी. आई. ए. और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(ई) प्रत्यक्ष और मध्यस्थ या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति

किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार का निपटान या अलगाव नहीं करना

धोखाधड़ी और अनुचित लेनदेन का हिस्सा बनने वाली संपत्ति;

(च) संबंधित व्यक्ति से अपने किसी भी अधिकारी, अन्य कर्मचारी या प्रतिनिधि से बातचीत करने से बचने के लिए कहने की अपेक्षा करता है।

किसी विशेष तरीके से प्रतिभूतियाँ;

(छ) संबंधित व्यक्ति को इन नियमों के उल्लंघन में अर्जित किसी भी प्रतिभूति का निपटान करने से रोकता है;

(ज) संबंधित व्यक्ति को इन विनियमों के उल्लंघन में अर्जित ऐसी किसी भी प्रतिभूति का निपटान करने के लिए इस तरह से निर्देश दें, जैसे -

बोर्ड पूर्व की स्थिति को बहाल करने के लिए उचित समझ सकता है।

(2) बोर्ड किसी भी अंतिम निर्णय के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा।

उप-विनियम (1) के तहत कम से कम दो समाचार पत्रों में पारित आदेश, जिनमें से एक का राष्ट्रव्यापी प्रसार होगा और

बोर्ड की वेबसाइट पर आदेश।

12. (1) बोर्ड, प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

अधिनियम की धारा 11 और धारा 11 बी की उप-धारा (1), (2), (2 ए) और (3) में निहित, एक आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित में एक मध्यस्थ के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई करें:

(क) एक चेतावनी या निंदा जारी करें

(ख) मध्यस्थ का पंजीकरण निलंबित कर देना; या

(ग) मध्यस्थ का पंजीकरण रद्द करना।

बशर्ते कि निलंबन या रद्द करने का कोई अंतिम आदेश नहीं इन विनियमों के उल्लंघन के लिए मध्यस्थ को तब तक पारित किया जाएगा जब तक कि इन पर लागू विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया न हो।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अधीन मध्यस्थ

(जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने और लागू करने की प्रक्रिया जुर्माना) विनियम, 2002 का पालन किया जाता है।

21. विनियम 10 बोर्ड को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

बोर्ड द्वारा विनियम 11 और 12 के तहत कार्रवाई करने के लिए तीन कदम उठाए गए हैं। पहला चरण जांच प्राधिकरण का विचार है जिसे में संदर्भित किया गया हैलेशन 9. दूसरा एक उचित अवसर [2022] 16 एस. सी. आर. प्रदान करना है।

सुनी जा रही है। तीसरा बोर्ड का संतोष है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। विनियम 10 स्पष्ट शब्दों में इंगित करता है कि विनियम 9 के तहत जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट यह निर्धारित करने के लिए बोर्ड की संतुष्टि का एक आंतरिक घटक है कि क्या विनियमों का कोई उल्लंघन हुआ है। विनियम 10 में बोर्ड को उस रिपोर्ट पर विचार करने का आदेश दिया गया है जिसका उल्लेख विनियम 9 में किया गया है। प्रस्तुतिकरण जो किया गया है

एस. ई. बी. आई. की ओर से आग्रह किया गया है कि (i) जांच रिपोर्ट बोर्ड के आंतरिक प्रशासनिक विचार-विमर्श का एक हिस्सा है; (ii) यह खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है; और यह कि (iii) केवल उन सामग्रियों का खुलासा किया जाना है जिन पर भरोसा किया जाता है, वे विनियमन 10 के एक महत्वपूर्ण भाग से चूक जाते हैं। द.

जिस भाषा में विनियम 10 जोड़ा गया है, वह इंगित करती है कि विनियम 9 के तहत प्रस्तुत की गई जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करना विनियमों के उल्लंघन पर बोर्ड की संतुष्टि का मार्गदर्शन करने वाले घटकों में से एक है। विनियम 10 के शब्द इंगित करते हैं कि बोर्ड "विनियम में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के बाद"

9 , यदि संतुष्ट किया जाता है कि इन विनियमों का उल्लंघन हुआ है और संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, विनियम 11 और 12 के तहत कार्रवाई की जाती है। आदेश के परिणामस्वरूप विनियम 10, बोर्ड को जांच रिपोर्ट को अपने संतोष पर पहुंचने के लिए एक आंतरिक तत्व के रूप में मानना होगा कि क्या विनियमों का उल्लंघन हुआ है।

सी. 2 जांच सामग्री का खुलासा करने का कर्तव्य

22. जबकि प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया है कि केवल उन सामग्रियों का खुलासा करने की आवश्यकता है जिन पर बोर्ड द्वारा भरोसा किया गया है, अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि सभी प्रासंगिक सामग्रियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे का जवाब देने की कोशिश करते समय, हम कई अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना कर रहे हैं। न्याय तक पहुँच और पारदर्शिता के सिद्धांतों के आसपास के न्यायशास्त्र को आकार देने में ये सभी सर्वोपरि मुद्दे, आवश्यक प्रकटीकरण के उद्देश्य और सीमा की पहचान करने से लेकर न्याय तक पहुँच के परस्पर विरोधी दावों और गोपनीयता, गोपनीयता और बाजार हित जैसे सार्वजनिक हित के आधारों को संतुलित करने तक हैं। प्रकटीकरण के उद्देश्य की पहचान हमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमा की पहचान करने के करीब ले जाएगी। जानकारी के प्रकटीकरण के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

((i)

विश्वसनीयता: दोनों पक्षों द्वारा जानकारी का अधिकार

दलीलों की सच्चाई निर्धारित करने में अदालतों की सहायता कर सकते हैं। न्यायालय की भूमिका एन. ओ. वी. की व्याख्या करने तक ही सीमित नहीं है।

ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कानून के प्रावधान लेकिन इसके समक्ष लगाए गए आरोपों की सत्यता और सच्चाई का निर्धारण भी करते हैं। अदालत इस कार्य को केवल तभी सही ढंग से कर पाएगी जब दोनों पक्षों के पास जानकारी तक पहुंच हो और जानकारी से संबंधित तर्कों और जवाबी तर्कों को संबोधित करने का अवसर हो।

कार्यवाही में भाग लें; पारदर्शिता और उत्तरदायित्वः जांच एजेंसियों और न्यायिक संस्थानों को इसके माध्यम से जवाबदेह ठहराया जाता है।

पारदर्शिता और कार्यवाही की अपारदर्शिता नहीं।

अपारदर्शिता पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह और दंड से मुक्ति की संस्कृति को आगे बढ़ाती है-ऐसे सिद्धांत जो पारदर्शिता के विरोधी हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कानून के शासन पर आधारित देश में, संस्थान उन प्रक्रियाओं को अपनाएं जो

पारदर्शिता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाना और उत्तरदायित्व। निष्पक्षता और पारगमन के सिद्धांत

न्यायनिर्णायक कार्यवाहियों की आधारशिलाएँ हैं

खुले न्याय का सिद्धांत। यही कारण है कि

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक निर्णय या आदेश के लिए अपने कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, न्यायनिर्णायक प्रक्रिया में पारदर्शी होने का कर्तव्य एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान करने से शुरू और समाप्त नहीं होता है। पार्टी रखना

एक के निर्णय को प्रभावित करने वाली जानकारी से वंचित

न्यायनिर्णायक कार्य भी करने वाला प्राधिकारी न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को कमजोर करता है। यह.

संबंधित पक्ष और बड़े पैमाने पर जनता को प्राधिकरण के निर्णयों की प्रभावी ढंग से जांच करने की क्षमता से इनकार करता है।

यह एक सूचना विषमता पैदा करता है।

सूचना के प्रकटीकरण का उद्देश्य केवल निर्णय में त्रुटियों को रोकना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई और पारदर्शिता के बड़े संस्थागत उद्देश्य की दिशा में भी है। सूचना के प्रकटीकरण का उद्देश्य परिणाम और प्रक्रिया (निष्पक्ष परीक्षण और पारदर्शिता) दोनों को लक्षित करता है, यह तभी होगा जब केवल उस सामग्री का खुलासा किया जाए जिस पर भरोसा किया गया हो।

प्रकटीकरण, केवल परिणाम के साथ संबंध रखता है न कि प्रक्रिया के साथ। इसलिए, एक डिफ़ॉल्ट नियम के रूप में, सभी प्रासंगिक सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए।

24. यह मौलिक रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा यदि जांच रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग जो संबंधित है -

अपीलार्थी का खुलासा नहीं किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। एक उचित अवसर की आवश्यकता यह मानती है कि ऐसी सामग्री जिसे विनियमन 10 के तहत ध्यान में रखा गया है और जिसे ध्यान में रखा जाना है, उसे नोटिस प्राप्तकर्ता के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। यदि विनियमन 9 के तहत जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट होनी है

बोर्ड द्वारा नियमों के संभावित उल्लंघन पर संतुष्टि प्राप्त करने से पहले विचार किया जाता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए रिपोर्ट के उचित प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। 25. बोर्ड के इस संतोष पर पहुंचने का परिणाम यह है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है कि बोर्ड विनियम 11 और 12 के तहत निर्दिष्ट कार्यों का सहारा ले सकता है। विनियम 11 बोर्ड को निम्नलिखित अधिकार देता है:

(i) किसी कार्य में शामिल पाए जाने वाले प्रतिभूति के व्यापार को निलंबित करें।

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार अभ्यास;

((ii) प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने से व्यक्तियों को रोकना और इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को इसमें लेन-देन करने से रोकना।

प्रतिभूतियाँ;

(v) धोखाधड़ी और अनुचित लेन-देन का हिस्सा बनने वाली संपत्ति का निपटान या अलगाव न करने का निर्देश जारी करना;
(vi) में अर्जित किसी भी प्रतिभूति के निपटान पर प्रतिबंध लगाएं।

इन नियमों का उल्लंघन; और

(vii) के अनुसार किसी भी प्रतिभूति के निपटान का निर्देश देना

बोर्ड का आदेश।

विनियमन 11 (2) के तहत, विनियमन 11 (1) के तहत पारित अंतिम आदेश के संबंध में बोर्ड द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जानी है।

26. विनियम 12 बोर्ड को अन्य बातों के अलावा मध्यस्थ के पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने का अधिकार देता है। टी. ताकानो बनाम के प्रावधान।

भारत और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

विनियम 11 और 12 इंगित करते हैं कि संतुष्टि के परिणाम

जो बोर्ड द्वारा विनियमन 10 के तहत किया जाता है, यदि विनियमों का उल्लंघन होता है, तो वे गंभीर हैं। 27. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह का निवेदन है कि केवल उन्हीं सामग्रियों का खुलासा किया जाना चाहिए जिन पर भरोसा किया जाता है।

पहला उत्तरदाता। विनियम 10, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, यह निर्धारित करता है कि बोर्ड को इस बात से संतुष्टि होनी चाहिए कि क्या विनियमों का उल्लंघन हुआ हैः

((i) जाँच प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

विनियम 9 में निर्दिष्ट; और

((ii) व्यक्ति को सुनने का उचित अवसर देने के बाद।

चिंतित हैं।

एक बार जब अधीनस्थ कानून यह अनिवार्य कर देता है कि बोर्ड के लिए जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट एक आवश्यक घटक है संतुष्टि, इसके लिए उचित प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

28. अब उपरोक्त संदर्भ में, नटवर सिंह (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले का विज्ञापन करना सामग्री होगी। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (न्यायनिर्णयन कार्यवाही और अपील) नियम 2000 2 ओ के नियम 4 (1) के तहत कारणदर्शक नोटिस दिया गया है, वह न्यायाधीश प्राधिकरण के कब्जे में उन सभी दस्तावेजों की मांग करने का हकदार है, जिनमें वे दस्तावेज भी शामिल हैं, जिन पर कारण दर्शाने के लिए नोटिस जारी करते समय कोई निर्भरता नहीं रखी गई है कि उसके खिलाफ जांच क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। नियम 4 निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 4. जाँच का आयोजन।

(1) अधिनियम की धारा 13 के तहत निर्णय लेने के उद्देश्य से चाहे किसी व्यक्ति ने अधिनियम की उस धारा में निर्दिष्ट कोई उल्लंघन किया हो, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे ऐसी अवधि के भीतर कारण दिखाने की अपेक्षा की जाएगी जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाए (दस से कम न हो)।

उसकी सेवा की तारीख से दिन) जांच क्यों नहीं होनी चाहिए

उसके खिलाफ पकड़ लिया जाए।

(2) ऐसे किसी भी व्यक्ति को उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक सूचना उल्लंघन की प्रकृति को इंगित करेगी जो कथित रूप से किया गया है -

उसे। (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की राय है कि एक जांच होनी चाहिए

आयोजित किया जाएगा, वह की उपस्थिति के लिए एक तारीख तय करने के लिए एक नोटिस जारी करेगा

वह व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी व्यवसायी के माध्यम से या

उनके द्वारा विधिवत अधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट। "

फेमा नियम 2000 के नियम 4 (1) से संकेत मिलता है कि पहली बार में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक नोटिस जारी करना होता है जिसमें व्यक्ति से कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।

नियम 4 (1) के तहत नोटिस का चरण निर्णय के लिए नहीं है, बल्कि यह तय करने के उद्देश्य से है कि क्या जांच की जानी चाहिए। अगर इसके बाद

दिखाए गए कारण पर विचार करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की राय है कि एक जांच की जानी चाहिए, जिसके बाद नियम 4 (3) के तहत व्यक्ति की उपस्थिति के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है। उप-नियम (4) में प्रावधान है कि तय की गई तारीख को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस बारे में स्पष्टीकरण देगा -

कथित उल्लंघन किया गया है और उप-नियम (5) के तहत दस्तावेज या साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उप-नियम (8) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अधिरोपित करने का अधिकार है

दंड, यदि यह संतुष्ट हो जाता है, प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर कि कोई उल्लंघन हुआ है।

29. अब इस पृष्ठभूमि में, न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी ने इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए नियम 4 की व्याख्या इस प्रकार कीः

" 23. नियम न्यायनिर्णायक को प्रदान और सशक्त नहीं करते हैं।

जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, उसके खिलाफ उल्लंघन के आरोपों की तुरंत कोई जांच करने का अधिकार। नियमों के नियम 4 में कहा गया है कि न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से क्या किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। उल्लंघन करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे कारण दिखाने की अपेक्षा की जाएगी कि उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए। नियम के एक नंगे अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस तरह से जारी किया जाने वाला कारणदर्शक नोटिस कथित उल्लंघन में कोई निर्णय लेने के उद्देश्य से नहीं है

लेकिन केवल यह तय करने के उद्देश्य से कि उसके खिलाफ जांच की जानी चाहिए या नहीं। ऐसी प्रत्येक सूचना संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृति को इंगित करने के लिए आवश्यक है।

कि ऐसे व्यक्ति द्वारा दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, को लेने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक इस बारे में राय कि क्या उल्लंघन के आरोपों की जांच की आवश्यकता है। इसके बाद ही उल्लंघन के आरोपों की वास्तविक और ठोस जांच शुरू होती है। ताकानो वी।

डी. आई. ए. और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]उपरोक्त उद्धरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कारण बताओ नोटिस नियम 4 (1) विज्ञापन उल्लंघन में निर्णय लेने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि केवल यह तय करने के लिए है कि क्या जांच की जानी चाहिए। जांच का वह चरण नियम 4 (1) द्वारा विचार किए गए प्रारंभिक चरण के बाद होता है। निर्णय के दौरान, मौलिक सिद्धांत वह सामग्री है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है।

ध्यान में लाया जाए। जैसा कि इस न्यायालय ने कहाः

" 30. निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार एक गारंटीकृत अधिकार है। प्रत्येक

न्यायनिर्णायक का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी के समक्ष व्यक्ति शक्तियों को यह जानने का अधिकार है कि उनके खिलाफ क्या सबूत इस्तेमाल किए जाने हैं। यह सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम में दृढ़ता से स्थापित और मान्यता प्राप्त है। सीआईटी [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 65: (1955) 1 एससीआर 941]। हालाँकि, प्रकटीकरण में आवश्यक रूप से सामग्री की आपूर्ति शामिल नहीं है। एक व्यक्ति को फाइल का निरीक्षण करने और नोट्स लेने की अनुमति दी जा सकती है। जिस भी तरीके का उपयोग किया जाता है, मूल सिद्धांत यह है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिसे उसके संज्ञान में नहीं लाया गया है। यदि प्रासंगिक सामग्री है

किसी पक्ष को खुलासा नहीं किया गया, प्रथम दृष्टया अन्याय है

सुनवाई से पहले, दौरान या बाद में। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप लगाए जाने हैं, तो उसे सुनवाई से पहले उसका विवरण दिया जाना चाहिए ताकि वह तैयारी कर सके। उसका बचाव। हालांकि, इसके कई अपवाद हैं।

सामान्य नियम जहाँ साक्ष्य सामग्री का प्रकटीकरण हो सकता है

प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुँचाना या

अन्य व्यक्ति या जहाँ प्रकटीकरण का उल्लंघन होगा

क्योंकि इसमें आधिकारिक रहस्यों का खुलासा शामिल होगा, टिप्पणी की स्पष्टता और अपराध का पता लगाने में बाधा,

कुछ खंडों को प्राप्त करना असंभव बना सकता है

भविष्य में आवश्यक जानकारी (आर. वी. देखें। सिकरी। से

गृह विभाग के लिए राज्य , एक्स पी एच [1995 क्यूबी 43: (1994) 3 डब्ल्यूएलआर

1110 : (1995) 1 सभी ईआर 479 (सीए)])।

31. निष्पक्षता की अवधारणा के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उन दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है जिन पर उसके द्वारा कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए निर्भरता रखी गई है, जिसमें नोटिसकर्ता को यह समझाने की आवश्यकता होती है कि अधिनियम की धारा 16 के तहत जांच क्यों की जानी चाहिए।

शुरू नहीं किया। इस हद तक, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और [2022] 16 एस. सी. आर.

निष्पक्षता की अवधारणा को नियम 4 (1) में पढ़ने की आवश्यकता है

नियम। निष्पक्ष प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं नियमों में निर्मित। एक नोटिस प्राप्तकर्ता हमेशा संतुष्ट करने का हकदार होता है

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी कि वे ही दस्तावेज जिन पर निर्भरता रखी गई है एक प्राइमा भी मत बनाओ

प्रत्यक्ष रूप से मामले में आगे की जांच की आवश्यकता है। इस दृष्टि से

मामला, हम मानते हैं कि ऐसे सभी दस्तावेजों द्वारा भरोसा किया गया

प्राधिकरण को सक्षम करने के लिए सूचना देने वाले को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है

उसे एक उचित कारण दिखाने के लिए कि जांच क्यों नहीं होनी चाहिए उसके खिलाफ आयोजित किया जाए, हालांकि नियमों में इसका प्रावधान नहीं है

निर्धारित प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करना और किसी भी तरह से नहीं क़ानून के स्पष्ट उद्देश्य को विफल करें। "

(जोर दिया गया)

30. इस न्यायालय का निर्णय प्रारंभिक के बीच अंतर करता है

नियम 4 (1) के तहत जो केवल यह तय करने के उद्देश्य से है कि क्या

पूछताछ की जानी है और निर्णय के बाद के चरण में

उल्लंघन की विरासत। इस न्यायालय ने आगे कहाः

" 34. जैसा कि देखा गया है, सुनवाई का एक उचित अवसर होना चाहिए

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से प्रदान किया गया

और उस स्तर पर नहीं जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की आवश्यकता होती है केवल यह तय करने के लिए कि क्या इसकी जांच की जानी चाहिए

बात है। निर्णय लेने के बाद जुर्माना लगाने से भरा हुआ है गंभीर और गंभीर परिणाम और इसलिए, आवश्यकता

पहले सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान करना इस तरह के किसी भी दंड को लागू किया जाना है। इसके विपरीत,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा बनाई गई राय कि क्या एक जांच

शिकायत में लगाए गए आरोपों को नहीं माना जाना चाहिए

ऐसे गंभीर परिणामों से भरा हुआ और इसलिए न्यूनतम कारण दर्शाने की सूचना की आवश्यकता और कारण पर विचार

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन लोगों के लिए एक उचित अवसर शामिल है जो इसमें पक्ष हैं प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी चीज़ को सुधारने या उसका खंडन करने के लिए विवाद

उनका दृष्टिकोण "।

31. उस मामले के तथ्यों पर, अदालत ने कहा कि जांच

सेंट नोटिस अभी शुरू नहीं हुआ थाः

ताकानो वी। डी. आई. ए. और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 36. वर्तमान मामले में, नोटिसकर्ता के खिलाफ जांच अभी तक नहीं हुई है

शुरू करें। सबूत जो उपलब्ध हो सकता है, जिसके आधार पर

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निसन्देह निर्भरता रख सकता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है

उल्लंघन। यह उस स्तर पर है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नहीं है केवल ऐसे व्यक्ति को उत्पादन करने का अवसर देने की आवश्यकता है

साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेज जिन्हें वह प्रासंगिक समझता है

जाँच, लेकिन किसी भी परिचित व्यक्ति की उपस्थिति को भी लागू करता है

साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्य

जो उसकी राय में विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है जाँच का विषय। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राकृतिक न्याय

अक्सर रिपोर्ट और साक्ष्य के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है

निर्णायक प्राधिकारी और ऐसी रिपोर्टों के कब्जे में

और विषय से संबंधित साक्ष्य-जांच का विषय अधिनियम की योजना के बिना प्रस्तुत करना पड़ सकता है

विशेष रूप से इस तरह के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है।

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि वे दस्तावेज जो अपीलार्थी ने

एड ऐसे दस्तावेज थे जिन पर कोई निर्भरता नहीं रखी गई थी

कानून को लागू करने के लिए दंड। नतीजतन, यह न्यायालय

उन्होंने संकेत दिया किः

" 48. कानून और नियमों के निष्पक्ष अध्ययन से पता चलता है कि

कब्जे में सभी दस्तावेजों के प्रकटीकरण का कोई कर्तव्य नहीं है न्यायनिर्णायक प्राधिकारी एक राय बनाने से पहले कि एक जांच

प्राकृतिक न्याय का उद्देश्य बाधाओं के रूप में काम करना नहीं है वैधानिक पूछताछ। पर्याप्त प्रकटीकरण का शुल्क केवल एक अतिरिक्त शुल्क है

प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा

निष्पक्षता और इसकी अपनी सीमाएँ हैं। इसकी प्रयोज्यता की सीमा यह वैधानिक ढांचे पर निर्भर करता है।

32. नटवर सिंह (ऊपर) में मुद्दा यह था कि क्या प्राधिकरण

16 एस. सी. आर. अपने कब्जे में सभी दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए बाध्य है।

इस पर राय बनाने से पहले कि क्या नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा कथित उल्लंघन की जांच की आवश्यकता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उस स्तर पर नोटिस प्राप्तकर्ता को ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि नियम 4 (1) के तहत नोटिस का एकमात्र उद्देश्य था -

यह तय करना कि क्या जाँच की जानी चाहिए। नियम 4 (1), दूसरे शब्दों में, एक अंतिम निर्णय नहीं था और इसके परिणामस्वरूप एक

आकर्षित किया। उस स्तर पर, यह पर्याप्त था कि केवल उन दस्तावेजों का खुलासा किया जाए जिन पर भरोसा किया गया है। 33. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने नटवर सिंह (उपरोक्त) के फैसले का स्पष्ट रूप से गलत अर्थ निकाला है। उच्च न्यायालय विफल रहा है

ध्यान दें कि उस मामले में मुद्दा यह था कि क्या उस स्तर पर जब प्राधिकरण फेमा नियम 2000 के नियम 4 (1) के तहत निर्णय लेता है कि क्या जांच की जानी चाहिए, तो नोटिस प्राप्तकर्ता को प्राधिकरण के कब्जे में सभी दस्तावेजों का खुलासा करना आवश्यक है। इसका जवाब नकारात्मक दिया गया। इस न्यायालय ने निर्णय के चरण को नियम 4 (1) के तहत प्रारंभिक चरण से अलग बताया। निर्णय के स्तर पर, सभी

न्यायालय द्वारा देखे गए अपवादों के अधीन, विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक दस्तावेजों को नोटिस में प्रकट किया जाना चाहिए।

34. बोर्ड की ओर से यह आग्रह किया गया है कि जांच रिपोर्ट एक अंतर-विभागीय संचार और आवश्यकता की प्रकृति में है खुलासा नहीं किया गया। कृष्ण चंद्र टंडन (ऊपर) मामले में इस अदालत के फैसले पर इस दलील को समर्थन देने के लिए भरोसा रखा गया था। हालाँकि, निर्णय से यह स्पष्ट है कि भले ही दस्तावेज केवल अंतर-विभागीय संचार हों, लेकिन ऐसे दस्तावेजों का खुलासा करना कर्तव्य है यदि जांच अधिकारी द्वारा उन पर भरोसा किया गया है। इसकी दो-न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी कीः

" 16. श्री हार्डी ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी के पास वास्तव में अपना बचाव करने का कोई उचित अवसर नहीं था और इस संबंध में उन्होंने जांच से जुड़े कुछ बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिनसे हमें अब निपटना है। पहले यह तर्क दिया गया था कि उन्हें प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की प्रतियों का निरीक्षण नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार किया और पाया कि शिकायत में कोई सार नहीं था। श्री हार्डी हमें केवल इतना ही इंगित करने में सक्षम थे कि अपीलार्थी को आरोप पत्र दिए जाने से पहले सी. आई. टी. द्वारा अपने विभागीय अधीनस्थों से प्राप्त रिपोर्ट अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि टी. ताकानो बनाम के बारे में प्राप्त शिकायतों पर।

भारत और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उनका काम सी. आई. टी. ने निरीक्षण सहायक आयुक्त से पूछा था।

श्री आर. एन. श्रीवास्तव एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। यह है।

स्पष्ट है कि अपीलार्थी रिपोर्ट की प्रति का हकदार नहीं था

श्री श्रीवास्तव या किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई जब तक कि जांच न हो। अधिकारी ने इन रिपोर्टों पर भरोसा किया। यह एक प्राधिकरण के लिए बहुत आवश्यक है

जो इस बात से संतुष्ट होने के लिए जांच का आदेश देता है कि प्रथम दृष्टया

अनुशासनात्मक जाँच आयोजित करने के लिए आधार और इसलिए, इससे पहले वह अपना मन बनाता है कि वह या तो स्वयं जाँच करेगा या निर्देश देगा

उसके अधीनस्थ मामले में जाँच करने के लिए और यह केवल उसके बाद है

क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं। इसलिए इन अंतर-विभागीय प्रकृति के दस्तावेज

होल्डिंग के लिए प्रारंभिक अधिकारियों के बीच संचार जाँच का वास्तव में कोई महत्व नहीं है जब तक कि जाँच

अधिकारी अपने निष्कर्षों के लिए उन पर भरोसा करना चाहता है। उस में

यदि यह केवल सही होगा कि उसी की प्रतियां होनी चाहिए

अपराधी को दिया जाए। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि

जाँच अधिकारी या सी. आई. टी. ने श्री आर. एन. की रिपोर्ट पर भरोसा किया।

अपीलार्थी के खिलाफ अपने निष्कर्ष के लिए श्रीवास्तव या कोई अन्य अधिकारी। इसलिए इस समर्पण में कोई सार नहीं है।

(जोर दिया गया)

35. हालांकि, केवल इसलिए कि जांच प्राधिकरण ने इनकार किया है

रिपोर्ट पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं होगा कि ऐसी सामग्री का खुलासा नोटिस लेने वाले को नहीं किया जा सकता है। न्यायालय प्रस्तावित कार्रवाई के लिए सामग्री की प्रासंगिकता और निर्णय के चरण के लिए इसकी सांठगांठ पर विचार कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसमें यह मूल्यांकन करना शामिल है कि क्या सामग्री पूरी तरह से उचित है या नहीं। संभावना प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित करेगी। उपरोक्त स्थिति इस न्यायालय द्वारा खुदीराम दास बनाम में निर्धारित की गई थी। की स्थिति

पश्चिम बंगाल 2 1. निवारक निरोध के संदर्भ में निर्णय देते हुए, इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने कहाः

बंदी के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के सामने सामग्री है जो एक अत्यधिक हानिकारक चरित्र का है और जिसका संबंध है

और निरोध के उद्देश्य के साथ प्रासंगिकता, और निकटता

निरोध आदेश के आधार पर पहुँचा गया था, यह होगा न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना वैध है कि ऐसी सामग्री आवश्यक है

ज़िले के गंजे बयान को स्वीकार करने से इनकार करना मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने ऐसी सामग्री को ध्यान में नहीं रखा

और इसे विचार से बाहर कर दिया। यह बुनियादी बात है कि

मानव मस्तिष्क डिब्बों में काम नहीं करता है। जब यह प्राप्त होता है

विभिन्न स्रोतों से प्रभाव, यह समग्रता है प्रभाव जो निर्णय लेने में जाता है और यह है

छापों और विधेय का विश्लेषण और विच्छेदन करना संभव नहीं है।

निर्णय लेने में कौन से प्रभाव पड़े और कौन सा

विशेष परिस्थितियों से ताकि इस तरह के प्रभाव को बाहर किया जा सके निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभाव। इसलिए, एक मामले में

जहाँ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सामग्री एक चरित्र की है जो सभी उचित संभावना में प्रभावित करने की संभावना होगी

किसी भी उचित व्यक्ति का निर्णय, न्यायालय सबसे अधिक होगा

जिला मजिस्ट्रेट का यह स्पष्ट निर्देश स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक है कि वह

इतना प्रभावित नहीं था और अगर ऐसी सामग्री का खुलासा नहीं किया जाता है तो यह एक दुर्भाग्य है

निरोध के लिए, निरोध का आदेश दूषित किया जाएगा, दोनों पर

जिला मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं थी बंदी को इस आधार पर भी सूचित किया गया कि बंदी

प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के अवसर से वंचित किया गया था

नजरबंदी के आदेश के खिलाफ "।

(जोर दिया गया)

सिद्धांत कि वह सामग्री जो निर्णय को प्रभावित कर सकती है

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा प्रबंधन में पुष्टि की गई थी निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद बनाम। बी. करुणाकर 23. जाँच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के अधिकार के पीछे के तर्क को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया थाः

22 (1991) 1 एस. सी. सी. 588 23 (1993) 4 एस. सी. सी. 727 टाकानो बनाम।

डी. आई. ए. और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 26. जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के अधिकार को एक अनिवार्य हिस्सा क्यों माना जाता है पहले चरण में उचित अवसर और प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत यह भी है कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष एक महत्वपूर्ण सामग्री बनाते हैं जिसे साक्ष्य के साथ लिया जाता है।

अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उस पर विचार करना। यह पहले से कहना मुश्किल है कि रिपोर्ट में अनुशंसित दंड, यदि कोई हो, सहित उक्त निष्कर्ष अनुशासनात्मक प्राधिकरण को किस हद तक प्रभावित करेंगे।

निष्कर्ष निकालते हैं। हो सकता है कि निष्कर्षों को रिकॉर्ड पर प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार किए बिना, या इसे गलत तरीके से या इसके द्वारा असमर्थित करके दर्ज किया गया हो। यदि ऐसा निष्कर्ष अनुशासनात्मक द्वारा विचार किए जाने वाले दस्तावेजों में से एक है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी को दोषी ठहराए जाने से पहले उससे मिलने, समझाने और विरोध करने का उचित अवसर मिलना चाहिए। यह न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना है और कर्मचारी को जवाब देने का अवसर दिए बिना जांच अधिकारी जैसे तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार करने के लिए कर्मचारी को उचित अवसर से वंचित करना है। हालांकि यह सच है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को अपने दम पर पहुंचना चाहिए

जांच में दर्ज साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष, यह भी उतना ही सच है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखता है

अभिलेख पर साक्ष्य के साथ अधिकारी। इन परिस्थितियों में, जांच अधिकारी के निष्कर्ष अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष एक महत्वपूर्ण सामग्री का गठन करते हैं जो इसके निष्कर्षों को प्रभावित करने की संभावना है। अगर जाँच अधिकारी को केवल साक्ष्य दर्ज करना था और उसे अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेजना था, जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष कोई अतिरिक्त सामग्री का गठन नहीं करेगा जिसके बारे में अपराधी कर्मचारी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, जब जांच अधिकारी आगे जाता है और अपने निष्कर्ष दर्ज करता है, जैसा कि कहा गया है

ऊपर, जो अभिलेख पर साक्ष्य पर आधारित हो या न हो या उसके विपरीत हो या इसकी अज्ञानता में हो, ऐसे निष्कर्ष एक अतिरिक्त सामग्री हैं जो कर्मचारी के लिए अज्ञात हैं, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अपने निष्कर्ष पर पहुँचते समय उन पर विचार किया जाता है। [2022] 16 एस. सी. आर. के रूप में उचित अवसर के दोनों निर्देश।

इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए यह आवश्यक है कि

इससे पहले कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचे, अपराधी कर्मचारी को जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए

साक्ष्य पर विचार करने के लिए आवश्यक, जांच अधिकारी की रिपोर्ट और इसके खिलाफ कर्मचारी का प्रतिनिधित्व।

(जोर दिया गया)

यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या पूर्वाग्रह एक के कारण हुआ है

प्रकटीकरण, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रिपोर्ट पीड़ित व्यक्ति को प्रस्तुत की जानी चाहिए और कर्मचारी को साबित करने का भार अपने कंधों पर उठाना चाहिए

cts कि उनका मामला पूर्वाग्रहपूर्ण था-या तो परिणाम या

हमेंट-गैर-प्रकटीकरण द्वाराः

" 30. [v]] अगले सवाल का जवाब दिया जाना है कि प्रभाव क्या है?

सजा के आदेश पर जब जाँच अधिकारी की रिपोर्ट कर्मचारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है और क्या राहत दी जानी चाहिए

ऐसे मामलों में। इस सवाल का जवाब सापेक्ष होना चाहिए।

दी गई सजा के लिए। जब कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है या

सेवा से हटा दिया जाता है और जांच को अलग कर दिया जाता है क्योंकि रिपोर्ट उसे प्रस्तुत नहीं की जाती है, कुछ मामलों में गैर-प्रस्तुत

रिपोर्ट ने उसे गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया हो सकता है जबकि अन्य मामलों में यह

हो सकता है कि दी गई अंतिम सजा से कोई फर्क नहीं पड़ा हो

उसे। इसलिए कर्मचारी की पीठ के साथ सीधे बहाली के लिए

सभी मामलों में मजदूरी न्याय के नियमों को एक यांत्रिक तक कम करने के लिए है।

अनुष्ठान। उचित अवसर का सिद्धांत और इसके सिद्धांत

प्राकृतिक न्याय कानून के शासन को बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है और व्यक्ति को उसके न्यायपूर्ण अधिकारों को सही साबित करने में सहायता करें। वे नहीं हैं।

मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए और न ही सभी पर संस्कार किए जाने चाहिए और

विभिन्न अवसरों पर। क्या वास्तव में, पूर्वाग्रह पैदा हुआ है

कर्मचारी को या उसके इनकार के कारण नहीं रिपोर्ट पर तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। जहाँ, इसलिए, इसके बाद भी

रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई अलग परिणाम नहीं होगा

और उत्तेजक सीमाएँ। यह एक अप्राकृतिक विस्तार के बराबर है प्राकृतिक न्याय "जो अपने आप में न्याय के विरोधी है।

टी. ताकानो बनाम। भारत और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

31. इसलिए, उन सभी मामलों में जहां जांच अधिकारी की रिपोर्ट नहीं है।

कार्यवाहियों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को इसकी प्रति का कारण बनना चाहिए पीड़ित कर्मचारी को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट यदि उसने नहीं दी है

न्यायालय/न्यायाधिकरण में आने से पहले ही इसे सुरक्षित कर लिया है और दे दिया है

कर्मचारी को यह दिखाने का अवसर मिलता है कि उसका मामला कैसा है

रिपोर्ट की आपूर्ति न होने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। अगर

पक्षकारों को सुनने के बाद, न्यायालय/न्यायाधिकरण के पास आता है

अंतिम निष्कर्षों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और सजा दी गई, न्यायालय/न्यायाधिकरण को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

सजा के आदेश के साथ। न्यायालय/न्यायाधिकरण को ऐसा नहीं करना चाहिए

यांत्रिक रूप से सजा के आदेश को इस आधार पर अलग कर दें कि

रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी जैसा कि खेदजनक रूप से वर्तमान में किया जा रहा है।

(जोर दिया गया)

36. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम। एस. के. शर्मा 24, इस न्यायालय ने नोट किया

यदि लोक हित के आधार पर प्राकृतिक न्याय के नियम के किसी पहलू का उल्लंघन किया जाता है, तो पूरी कार्यवाही तब तक दूषित नहीं होती जब तक किअपराधी पर न्याय किया गया है। एक अंतर बनाया गया था

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण गैर-पालन के बीच,

जहाँ कोई जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था और अपर्याप्त प्रस्फुटन के तर्क हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब बाद वाला तर्क दिया जाता है, तो न्यायालय यह निर्धारित करता है कि क्या अपर्याप्त प्रकटीकरण पूर्वाग्रह का कारण बना। यह न्यायालय

परोसा जाता हैः

" 28. ऊपर दिए गए निर्णय एक बात स्पष्ट करते हैं। , सिद्धांत

प्राकृतिक न्याय को किसी भी कठोर और तेज़ सूत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि रसेल वी. में कहा गया है। ड्यूक ऑफ नॉरफ़ॉक [(1949) 1 सभी ईआर 109: 65

टी. एल. आर. 225] बहुत पहले 1949 में, इन सिद्धांतों को एक में नहीं रखा जा सकता है

स्ट्रेट-जैकेट। उनकी प्रयोज्यता संदर्भ पर निर्भर करती है और

प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। (मोहिंदर सिंह को देखें

गिल बनाम। मुख्य चुनाव आयुक्त। [(1978) 1 एससीसी 405: (1978) 2 एससीआर

272]) इसका उद्देश्य एक निष्पक्ष सुनवाई, एक निष्पक्ष सौदा सुनिश्चित करना है

वह व्यक्ति जिसके अधिकार प्रभावित होने वाले हैं। (ए. के. देखें।

रॉय बनाम। भारत संघ [(1982) 1 एस. सी. सी. 271: 1982 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 152]

और स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम। भारत संघ [(1981) 1 एस. सी. सी. 664]। जैसा कि इस न्यायालय ने ए. के. क्राईपाक बनाम में बताया है। संघ का

भारत [(1969) 2 एस. सी. सी. 262], अर्ध-न्यायिक के बीच विभाजन रेखा

अनुच्छेद 311 (2) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) द्वारा पर्यालोचित स्थितियों का मामला या उस सामग्री का खुलासा करना जिस पर कोई विशेष कार्रवाई की जा रही है। वास्तव में ऐसी कई अलग-अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनका अनुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हमारी सम्मानजनक राय में, तय किए गए मामलों से उभरने वाले सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में कहा जा सकता है - अनुशासनात्मक आदेशों और पूछताछों के संबंध में: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन और उक्त सिद्धांत के एक पहलू के उल्लंघन के बीच अंतर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, "कोई सूचना नहीं"/"नहीं" के बीच का अंतर है।

"सुनना" और "पर्याप्त सुनवाई नहीं" या इसे अलग-अलग शब्दों में कहें, "कोई अवसर नहीं" और "पर्याप्त अवसर नहीं"। उदाहरण के लिए एक ऐसे मामले को लें जहां व्यक्ति को पूरी तरह से सुने बिना सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है (जैसा कि रिज v में है। बाल्डविन [1964 एसी 40: (1963) 2 सभी ईआर 66: (1963) 2 डब्ल्यूएलआर 935])। यह पहली श्रेणी के तहत आने वाला मामला होगा और बर्खास्तगी का आदेश अमान्य होगा-या अमान्य, अगर कोई उस अभिव्यक्ति का उपयोग करने का विकल्प चुनता है।

(केल्विन वी। कैर [1980 एसी 574: (1979) 2 सभी ई. आर. 440: (1979) 2 डब्ल्यूएलआर 755, पीसी])। लेकिन जहां व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त किया जाता है, मान लीजिए, उसे जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान किए बिना।

डी. आई. ए. और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल बनाम बी. करुणाकर [(1993) 4 एससीसी 727:

1993 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1184: (1993) 25 ए. टी. सी. 704]) या बिना शर्त के

उसे एक गवाह से जिरह करने का उचित अवसर (के. एल.

त्रिपाठी [(1984) 1 एससीसी 43: 1984 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 62]) यह एक होगा

बाद की श्रेणी में आने वाला मामला-के एक पहलू का उल्लंघन

आदेश का परीक्षण पूर्वाग्रह की कसौटी पर किया जाना चाहिए, अर्थात, क्या, कुल मिलाकर, संबंधित व्यक्ति ने निष्पक्ष सुनवाई की या नहीं की।

उपरोक्त निर्णयों के आलोक में यह सही नहीं होगा। कहने के लिए कि प्राकृतिक के एक पहलू के किसी भी और हर उल्लंघन के लिए

न्याय या ऐसे पहलू को शामिल करने वाले नियम का आदेश पारित किया गया

यह पूरी तरह से शून्य है और इसे आगे रखे बिना अलग रखा जाना चाहिए।

पूछताछ की। हमारी राय में, बी में अपनाया गया दृष्टिकोण और परीक्षण। करुणाकर [(1993) 4 एससीसी 727: 1993 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1184:

(1993) 25 ए. टी. सी. 704] को उन सभी मामलों को नियंत्रित करना चाहिए जहां

अवसर और कोई सुनवाई नहीं) लेकिन एक उचित नहीं सुनवाई (यानी, पर्याप्त या पूर्ण सुनवाई) या एक के उल्लंघन का

प्रक्रियात्मक नियम या जांच को नियंत्रित करने वाली आवश्यकता;

शिकायत की टचस्टोन पर जांच की जानी चाहिए

जैसा कि ऊपर कहा गया है पूर्वाग्रह "।

(जोर दिया गया)

37. उत्तर प्रदेश राज्य में v. रमेश चंद्र मांगलिक 2 2 5,

अभिनिर्धारित किया कि खुलासा करने का कर्तव्य केवल सामग्री तक ही सीमित है और

चींटी दस्तावेज़ जिन पर समर्थन में भरोसा किया जा सकता है

ईएस। उस मामले में अन्य अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई थी

ई अपराधी अधिकारी। यह नोट किया गया था कि ऐसे दस्तावेज नहीं हैं

जाँच अधिकारी पर भरोसा किया। अपराधी अधिकारी को उन दस्तावेजों की प्रासंगिकता साबित नहीं करनी थी जिन्हें दबा दिया गया था। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 11. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि

विशेष दस्तावेज, जिनकी प्रतियां नहीं बताई गई हैं

आपूर्ति उत्तरदाता द्वारा इंगित नहीं की जाती है, बहुत कम उच्च न्यायालय के आदेश और न ही उनकी प्रासंगिकता को इंगित किया गया है।

निवेदन यह है कि अपराधी को यह भी दिखाना होगा कि

कोई विशेष दस्तावेज़ किस तरह से प्रासंगिक था

जाँच के साथ संबंध और किस पूर्वाग्रह का कारण बना

दस्तावेज़ की एक प्रति प्रस्तुत न करके। के समर्थन में यह विवाद, रिपोर्ट किए गए मामले पर निर्भरता रखी गई है

चंद्रमा तिवारी बनाम। भारत संघ [1987 पूरक एस. सी. सी. 518:

1988 एससीसी (एल एंड एस) 226: (1987) 5 एटीसी 369]। यह देखा गया है

इस मामले में कि प्रतियों की आपूर्ति करने का दायित्व

दस्तावेज़ केवल सामग्री और प्रासंगिक तक ही सीमित हैं। दस्तावेज़ जिन पर समर्थन में भरोसा किया जा सकता है

आरोप लगाते हैं। यह आगे देखा गया है कि यदि कोई दस्तावेज़ भी

हालांकि आरोपों के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, इसका कोई असर नहीं है

प्रभारों पर या यदि उस पर भरोसा नहीं किया जाता है या हो सकता है कि यह न हो किसी भी गवाह की प्रतिपरीक्षा के लिए आवश्यक, गैर-आपूर्ति

इस तरह के दस्तावेज़ का कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा

परिस्थितियाँ। राज्य में टी. एन. वी. थिरू के. वी. पेरुमल [(1996) 5 एससीसी 474: 1996 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1280] अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया,

यह माना जाता है कि यह अपराधी के लिए प्रासंगिकता दिखाने के लिए है

एक दस्तावेज़ जिसकी एक प्रति वह प्रदान करने पर जोर देता है उसे। दस्तावेज़ की आपूर्ति न होने के कारण होने वाले पूर्वाग्रह ने भी

देखने के लिए। विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए एक अन्य मामले में

अपीलार्थी के लिए, यू. पी. राज्य बनाम में सूचित। हरेंद्र

अरोड़ा [(2001) 6 एससीसी 392: 2001 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 959]

अभिनिर्धारित किया कि एक अपराधी को उसके कारण होने वाले पूर्वाग्रह को दिखाना चाहिए

दस्तावेज़ की एक प्रति की गैर-आपूर्ति जहां सजा का आदेश है उस आधार पर चुनौती दी जाती है।

(जोर दिया गया)

38. कोठारी फिलामेंट्स v. कॉम. सीमा शुल्क 26 में से, यह न्यायालय

कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने अर्ध के अभ्यास मेंial शक्तियाँ ऐसी सामग्री के आधार पर आदेश पारित नहीं कर सकती हैं जो

अधिकारियों को पता चला। इस न्यायालय ने कहाः

यदि किसी आयातक को उल्लंघन का दोषी पाया जाता है अधिनियम के प्रावधान। उल्लंघन के संबंध में एक निष्कर्ष की स्थिति में

अधिनियम के प्रावधानों पर पहुंचा गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई कदम उठाए गए हैं

नागरिक या बुरे परिणाम लिए जा सकते हैं। प्राकृतिक सिद्धांत

इसलिए न्याय का पालन किया जाना आवश्यक था।

9) 2 एस. सी. सी. 192 टी. ताकानो बनाम

भारत और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

15. यह अधिनियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। सीमा शुल्क आयुक्त या तो उन सामग्रियों के आधार पर आदेश पारित नहीं कर सकते थे जो केवल उन्हें ज्ञात थीं, जिनकी प्रतियां आपूर्ति नहीं की गई थीं या उनका निरीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, वह विदेशी पूछताछ की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकते थे। गलत घोषणा का आरोप लगाने वाला व्यक्ति है

वह यह जानने का हकदार है कि किस आधार पर उसे दंडित किया जाएगा। हो सकता है कि उसके पास आरोपों का जवाब हो या न हो। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कानूनी रूप से वह उचित सुनवाई का हकदार है जिसमें दस्तावेजों की आपूर्ति शामिल होगी। केवल दस्तावेजों की सामग्री जानने पर, वह

एक प्रभावी जवाब दे सकते हैं।

39. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:

एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह सामग्री का खुलासा करे

((i)

जिस पर निर्णय के चरण में भरोसा किया गया है; और

((ख)

प्राधिकरण का एक अस्पष्ट संकेत कि उसने कुछ पर भरोसा नहीं किया है

सामग्री ऐसी सामग्री का खुलासा करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगी यदि यह प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के लिए प्रासंगिक है और इसका कोई संबंध है। सभी उचित संभावनाओं में, ऐसी सामग्री ने निर्णय को प्रभावित किया होगा

प्राधिकरण द्वारा।

इस प्रकार, वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या जिस सामग्री का खुलासा करने की आवश्यकता है वह निर्णय के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। यदि ऐसा है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए इसके उचित प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

40. जाँच रिपोर्ट उस सामग्री को तैयार करती है जिस पर विचार करते हुए, बोर्ड इस बारे में संतुष्टि पर पहुँचता है कि क्या कोई मामला सामने आया है।

नियमों का उल्लंघन। यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, बोर्ड को विनियम 11 और 12 के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है। प्रथम प्रतिवादी के लिए यह दावा करना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि उसने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि वह जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता है। इप्स डिक्सिट

यह अधिकार कि यह कुछ सामग्री से प्रभावित नहीं था, पर्याप्त नहीं होगा। यदि सामग्री प्रासंगिक है और इसका उस स्तर से संबंध है जिस पर किसी प्राधिकरण द्वारा संतुष्टि प्राप्त की जाती है, तो ऐसी सामग्री को निर्णय के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। बोर्ड की लिखित प्रस्तुतियों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष प्राधिकरण के लिए यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि क्या कोई [2022] 16 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विनियमन 10 के तहत प्रवर्तन कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार। प्रस्तुतियों के प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

जाँच प्राधिकरण पूरा होने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा नियुक्ति प्राधिकारी को जाँच। हालांकि,

प्रावधान के लिए सूचना प्राप्तकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

अपने आप में। यह एक रिपोर्ट है जो एक प्राधिकरण के लिए आवश्यक है, जो जाँच का आदेश देता है, यह तय करने के लिए कि क्या वहाँ है

या नहीं। इसलिए, इससे पहले कि प्राधिकरण अपना मन बना ले, वह या तो स्वयं जाँच करेगा या अपने अधीनस्थों को निर्देश देगा

मामले की जांच करने के लिए। यह केवल प्राधिकरण के बाद है

जाँच की रिपोर्ट प्राप्त करता है जो वह तय कर सकता है

इस बारे में कि क्या कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं। इसलिए,

जाँच रिपोर्ट अंतर-विभागीय प्रकृति की होती है। मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के बीच संचार और

प्राधिकरण जो इकाई के खिलाफ किसी भी प्रवर्तन कार्रवाई का निर्णय ले सकता है।

.....

नोटिस प्राप्तकर्ता को एस. सी. एन. और सभी प्रतियों में बाहर लाया जाता है एस. सी. एन. जारी करते समय जिन दस्तावेजों पर एस. ई. बी. आई. भरोसा करता है

हमेशा संबंधित के साथ साझा किया जाता है। वर्तमान मामला नहीं है

अपवाद "।

(जोर दिया गया)

41. उपरोक्त उद्धरण इंगित करते हैं कि जाँच के निष्कर्ष

रिपोर्ट बोर्ड के लिए संतोष पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक है कि क्या विनियमों का उल्लंघन किया गया है। भले ही यह माना जाता है कि रिपोर्ट एक अंतर-विभागीय संचार है, जैसा कि कृष्ण चंद्र टंडन (ऊपर) में आयोजित किया गया है, ऐसी रिपोर्ट का खुलासा करना कर्तव्य है यदि यह कथित उल्लंघन के निर्धारण के लिए प्रवर्तन प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रासंगिक है।

42. खुदीराम दास (ऊपर) में, इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ

'प्रासंगिकता' के मानक के लिए दो-आयामी परीक्षण निर्धारित किया गया है; सबसे पहले, सामग्री का क्रम के साथ संबंध होना चाहिए और दूसरा, सामग्री टी. ताकानो बनाम।

भारत और ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। करुणाकर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रासंगिक जानकारी का खुलासा न करना अपने आप में सजा के आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सजा के आदेश को दरकिनार करने के लिए, पीड़ित व्यक्ति को यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि खुलासा न करने के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। साबित करने के लिए पूर्वाग्रह, उसे यह साबित करना होगा कि अगर उसे सामग्री का खुलासा किया गया था

परिणाम या सजा अलग होती। प्रकटीकरण की सीमा के लिए परीक्षण और गैर-प्रकटीकरण के लिए संबंधित उपाय उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसे प्रकटीकरण प्राप्त करना चाहता है। इसलिए, फैसले की विश्वसनीयता पर गैर-प्रकटीकरण का प्रभाव

कार्यवाही की समग्र निष्पक्षता को भी निर्धारित किया जाना चाहिए। फैसले और सजा की विश्वसनीयता का निर्धारण करते समय, अदालत को परिणाम के सहायक उद्देश्यों के लिए अज्ञात जानकारी के संभावित उपयोगों पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। 43. नटवर सिंह (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कार्यवाही के विषय-वस्तु से संबंधित सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए,

जब तक कि क़ानून की योजना इसके विपरीत संकेत न दे। इस तरह की सामग्री का खुलासा न करना प्रथम दृष्टया मनमाना है। कार्यवाही के चरण के आधार पर इस सामान्य नियम से विचलन किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह उन सामग्रियों का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है जिन पर भरोसा किया गया है यदि यह जांच शुरू करने के लिए कारण दिखाएँ नोटिस जारी करने के उद्देश्य से है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, चूंकि विनियम 9 के तहत जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट विनियम 11 और 12 में निर्दिष्ट कार्रवाई करने के लिए विनियम 10 के तहत अपनी संतुष्टि पर पहुंचने में बोर्ड द्वारा ध्यान में रखी गई परिस्थितियों की गणना में प्रवेश करती है, इसलिए यह दावा करना विनियमों के विपरीत होगा कि जांच रिपोर्ट केवल एक आंतरिक दस्तावेज है जिसका प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। जो भी हो,

विनियम 10 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि बोर्ड विनियम 9 के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद विनियमों के उल्लंघन के बारे में एक राय बनाता है। इस प्रकार, जांच रिपोर्ट को नोटिस प्राप्तकर्ता के सामने विधिवत प्रकट किया जाना चाहिए। हालाँकि, प्रकटीकरण का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या जांच रिपोर्ट का खुलासा न करना नियम के किसी भी अपवाद द्वारा संरक्षित है।

सी. 3. प्रकट करने के कर्तव्य के अपवाद

44. उत्तरदाताओं का तर्क है कि चूंकि विनियमन 9 के तहत जांच रिपोर्ट में "वाणिज्यिक [2022] 16 एस. सी. आर". की जानकारी भी शामिल होगी।

और व्यावसायिक हित, रणनीतिक जानकारी से जुड़े दस्तावेज, निवेश रणनीतियाँ, निवेश के लिए तर्क, वाणिज्यिक जानकारी और संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के व्यावसायिक मामलों के बारे में जानकारी जो गोपनीयता और अन्य संस्थाओं की प्रतिस्पर्धी स्थिति को प्रभावित करती है, का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। इस तर्क को दबाते हुए, प्रतिवादी ने उप-धारा (1) के खंड (डी), (ई) और (एच) का उल्लेख किया।

आर. टी. आई. अधिनियम, जिसमें कहा गया है कि वाणिज्यिक विश्वास को प्रभावित करने वाली या किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाली या जांच की प्रक्रिया में बाधा डालने वाली जानकारी का खुलासा करने का कोई कर्तव्य नहीं होगा, जब तक कि सूचना के प्रकटीकरण में कोई बड़ा सार्वजनिक हित न हो। आर. टी. आई. अधिनियम तीसरे पक्ष के व्यक्तियों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है जिनकी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सार्वजनिक हित। आर. टी. आई. अधिनियम प्रतिबिंबित करता है

प्रशासन में पारदर्शिता की सुविधा के लिए संसदीय इरादा, जो सूचना के प्रकटीकरण के लिए तर्क है। यह कुछ परिभाषित अपवादों के अधीन है।

45. हम संवेदनशील तत्वों की विस्तृत श्रृंखला से बेखबर नहीं रह सकते हैं।

ऐसी जानकारी जो विनियमन 9 के तहत प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में वित्तीय लेनदेन की जानकारी से लेकर और शामिल हो सकती है

प्रतिभूति बाजार में अन्य संस्थाएं, जो तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं। रिपोर्ट में बाजार की संवेदनशील जानकारी हो सकती है जो निवेशकों के हित और प्रतिभूति बाजार की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकता को असंबद्ध मामलों या तीसरे पक्ष के व्यवहार के संबंध में एक घुमावदार प्रकटीकरण के अधिकार को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। जाँचकर्ता प्राधिकारी प्रतिभूति बाजार के सुव्यवस्थित कामकाज पर असर डालने वाली संवेदनशील प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रकटीकरण के लिए सूचना प्राप्तकर्ता के अधिकार को किसी भी अन्य तीसरे पक्ष के अधिकारों को संरक्षित करने की आवश्यकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए जो प्रभावित हो सकते हैं।

46. नटवर सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा है कि साक्ष्य सामग्री का खुलासा करने के सामान्य नियम के अपवाद हैं। यह अदालत ने कहा कि इस तरह के अपवादों को लागू किया जा सकता है यदि सामग्री का खुलासा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या उल्लंघन है

गोपनीयता। प्रकटीकरण के उद्देश्य की पहचान करते समय, हमने माना है कि प्रकटीकरण के अधिकार के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक संस्थानों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। प्रकटीकरण के अधिकार के संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकारों के दावों को जनहित और निष्पक्ष निर्णय के मुद्दे के रूप में नहीं रखा जा सकता है। इस तरह के द्विआधारी का निर्माण टी. ताकानो बनाम के उद्देश्य को कम और सीमित करता है।

इसके बाद यह साबित करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर डाल दी जाती है कि उसके मामले का उचित बचाव करने के लिए जानकारी आवश्यक है। 47. इस परीक्षण को तथ्यों पर लागू करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता यह साबित करने में असमर्थ है कि पूरी रिपोर्ट का प्रकटीकरण आवश्यक है

उसे मामले का बचाव करने के लिए। प्रथम प्रतिवादी ने निम्नलिखित तर्क दिए:

प्रथम दृष्टया यह मामला बनाना कि रिपोर्ट का खुलासा तीसरे पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन करेगा:

जाँच रिपोर्ट में अस्थिर स्थिति के बारे में जानकारी होती है

((i)

बाजार की प्रकृति;

रिपोर्ट में विभिन्न लोगों की व्यक्तिगत जानकारी भी शामिल है।

((ख)

हितधारक। प्रकटीकरण गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करेगा

तृतीय पक्ष व्यक्ति; तथा इसमें रणनीतिक जानकारी शामिल है।

(iii)

48. अपीलार्थी ने यह साबित करके अपना बोझ पर्याप्त रूप से नहीं उठाया कि उपरोक्त जानकारी का खुलासा न करने से उसकी अपना बचाव करने की क्षमता प्रभावित होगी। हालांकि, केवल इसलिए कि जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में तीसरे पक्ष की जानकारी या प्रतिभूति बाजार पर गोपनीय जानकारी शामिल है, प्रतिवादी को रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्सों के प्रकटीकरण को रोकने का अधिकार नहीं है।

प्रथम प्रतिवादी केवल रिपोर्ट के उन खंडों के गैर-प्रकटीकरण का दावा कर सकता है जो प्रतिभूति बाजार के कामकाज पर तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी और रणनीतिक जानकारी से संबंधित हैं।

49. इसलिए, बोर्ड को विनियमन 9 के तहत जांच रिपोर्ट के ऐसे हिस्सों को निर्धारित करना चाहिए जिनका इस पर असर पड़ता है -

कार्रवाई जो उस व्यक्ति के खिलाफ की जानी प्रस्तावित है जिसे कारण बताने का नोटिस जारी किया गया है और उसी का खुलासा किया गया है। यह ऐसी जानकारी को संशोधित कर सकता है जो तीसरे पक्ष की गोपनीयता को प्रभावित करती है। यह सूचना को संशोधित करने में निरंकुश विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। दूसरी ओर, रिपोर्ट के ऐसे भाग जो अपीलार्थी के लिए उसके खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ अपने मामले का बचाव करने के लिए आवश्यक हैं, का खुलासा करने की आवश्यकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जांच प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह रिपोर्ट के ऐसे हिस्सों को सद्भावना से नोटिस प्राप्तकर्ता को प्रकट करे। यदि जाँच अधिकारी खुलासा करके अपने कर्तव्य को दरकिनार करने का प्रयास करता

है न्यूनतम जानकारी, अपीलार्थी के पूर्वाग्रह के लिए, यह [2022] 16 एस. सी. आर. का उल्लंघन होगा।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। एक उपयुक्त मामले में न्यायालय/अपीलीय मंच को जांच रिपोर्ट मांगने और यह निर्धारित करने का अधिकार होगा कि क्या खुलासा करने के कर्तव्य का प्रभावी ढंग से पालन किया गया है।

50. अपीलार्थी को कारण बताने के लिए जारी किया गया नोटिस उल्लंघन के लिए है

सेबी अधिनियम, एस. सी. आर. ए. और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के प्रावधान। कारण दर्शाओ नोटिस में विशेष रूप से जांच के दौरान जो खुलासा हुआ है उसका उल्लेख किया गया है और अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों में पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के प्रावधानों को लागू किया गया है। कारण दर्शाओ नोटिस का पैरा 8 (2) नीचे दिया गया है:

" (II) यह आरोप लगाया जाता है कि श्री टी. टाकानो, जिनके कार्यकाल के दौरान

एफ. डी. एस. एल. के साथ व्यावसायिक लेन-देन उनकी स्थिति के आधार पर शुरू हुआ।

वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान रिकोह के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में

धोखाधड़ी करने में सक्रिय रूप से शामिल थे और जानबूझकर

पीडब्ल्यूसी को दिए गए जनादेश को छह महीने तक सीमित कर दिया ताकि सफल हो सके

असत्य प्रकाशन के धोखाधड़ी आयोग में अपनी भूमिका को छिपाने में

निवेशक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में और इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों को शेयरों में प्रलोभन मिला। ने कहा कि

सूचना सं. के कार्य। 2 नियमों का उल्लंघन करने का आरोप 3 (बी), (सी), (डी), 4 (1) और 4 (2) (ई), (एफ), (के) और (आर) SEBI (PFUTP)

विनियम, 2003 और 41 (II) (ए) के साथ पठित खंड 49 (वी) पूर्ववर्ती सूचीबद्धता समझौता "।

चूंकि कारण दर्शाओ नोटिस ने विशेष रूप से रिपोर्ट पर भरोसा किया है

जाँच और अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी द्वारा पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के उल्लंघन का आह्वान करते हुए, विनियम 10 के अधिदेश का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, यह निर्देश देते हुए कि अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट का खुलासा किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यह अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट के घुमावदार निरीक्षण की मांग करने की अनुमति नहीं देगा जिसमें असंबंधित संस्थाओं और लेनदेन के संबंध में संवेदनशील जानकारी हो सकती है।

D. निष्कर्ष

51. निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) अपीलार्थी को सामग्री के प्रकटीकरण का अधिकार है।

उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के लिए प्रासंगिक। एक विचलन

प्रासंगिक जानकारी के प्रकटीकरण के सामान्य नियम से

नटवर सिंह (ऊपर) में बनाया गया था जो नो वी के मंच पर आधारित था।

ए. एन. आर. का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कार्यवाही। यह उन सामग्रियों का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है जिन पर भरोसा किया गया है कि क्या यह जांच शुरू करने या न करने का निर्णय लेने के लिए कारण दिखाएँ नोटिस जारी करने के उद्देश्य से है। हालाँकि, कार्यवाही के लिए प्रासंगिक सभी जानकारी का खुलासा न्यायनिर्णयन कार्यवाही में किया जाना चाहिए। बोर्ड विनियमन 10 के तहत जांच पर विचार करता है।

जाँच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विनियम 9, और यदि यह आरोपों से संतुष्ट है, तो यह विनियम 11 और 12 के तहत दंडात्मक उपाय जारी कर सकता है। इसलिए, जांच रिपोर्ट केवल एक आंतरिक दस्तावेज नहीं है। किसी भी स्थिति में, विनियमन 10 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि बोर्ड इसके बारे में एक राय बनाता है।

विनियम 9 के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद विनियमों का उल्लंघन; सामग्री का प्रकटीकरण तीन गुना उद्देश्य पूरा करता है -

निर्णय में त्रुटि को कम करना, कार्यवाही की निष्पक्षता की रक्षा करना और जांच निकायों और न्यायिक संस्थानों की पारदर्शिता को बढ़ाना;

सामग्री के दमन के संस्थागत प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना परिणाम के विपरीत प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है। द.

इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्देश करुणाकर (ऊपर) ने कहा कि प्रासंगिक जानकारी का खुलासा न करने से सजा का आदेश ही अमान्य हो जाएगा।

यदि पीड़ित व्यक्ति यह साबित करने में सक्षम है कि गैर-प्रकटीकरण के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है जो परिणाम और प्रक्रिया दोनों पर आधारित है;

प्रकटीकरण का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। जानकारी का प्रकटीकरण अन्य तीसरे पक्ष के हितों और प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। प्रत्यर्थी को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना चाहिए कि रिपोर्ट का खुलासा तीसरे पक्ष के अधिकारों और प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा। इसके बाद यह साबित करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर डाल दी जाती है कि उसके मामले का उचित बचाव करने के लिए जानकारी आवश्यक है; और

जहाँ जाँच रिपोर्ट के कुछ भाग शामिल हैं। तृतीय पक्षों की जानकारी या [2022] 16 एस. सी. आर. पर गोपनीय जानकारी।

प्रतिभूति बाजार में, प्रत्यर्थी उस कारण से रिपोर्ट के किसी भी हिस्से का खुलासा करने के खिलाफ विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। उत्तरदाता रिपोर्ट के उन खंडों के प्रकटीकरण को रोक सकते हैं जो तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी और रणनीतिक जानकारी से संबंधित हैं जो स्थिर और व्यवस्थित स्थिति पर असर डालती हैं।

प्रतिभूति बाजार की कार्यप्रणाली।

52. बोर्ड ऐसे भागों की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

रिपोर्ट जो विशिष्ट आरोपों से संबंधित है जो किए गए हैं

कारण बताने के लिए नोटिस में अपीलार्थी के खिलाफ आरोप लगाया गया है। हालांकि, यह अपीलार्थी को तीसरे पक्ष और असंबंधित लेनदेन के बारे में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है जो जांच रिपोर्ट का हिस्सा हो सकते हैं। 53. सुनवाई के दौरान, न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि हालांकि नामित अधिकारी के समक्ष सुनवाई

अभिनिर्धारित किया गया है, वर्तमान कार्यवाहियों के लंबित होने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि

ऊपर पहुँचाए जाने पर, हम निर्देश देते हैं कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी को उचित प्रकटीकरण किए जाने के बाद, अंतिम निर्णय पर पहुँचने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में प्रकटीकरण के मामलों के संदर्भ में अपीलार्थी को सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जाएगा।

54. वर्तमान निर्णय के संदर्भ में प्रकटीकरण होगा -

इस निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर अपीलार्थी को सूचित किया जाता है और अपीलार्थी को जवाब देने के लिए एक महीने की अवधि दी जाएगी। जाँच के प्रभारी संबंधित अधिकारी अंतिम निर्णय लेने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेंगे। उपरोक्त शर्तों में अपीलों की अनुमति है।

55. उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय

बॉम्बे में 29 सितंबर 2020 का न्यायनिर्णयन तदनुसार अलग रखा गया है। मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

56. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान और अमरेंद्र कुमार

(सहायकः अदनान खान, एलसीआरए)